



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-15022025-261080
CG-GJ-E-15022025-261080

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 115]
No. 115]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 4 फरवरी, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन बाजार) विनियम, 2025

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2025/001.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए; प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4, 8क और 31, निक्षेपागार अधिनियम, 1956 की धारा 23छ और 25 के साथ पठित, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बुलियन एक्सचेंजों और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशनों की मान्यता और बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट प्रबंधकों के रजिस्ट्रीकरण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातः—

अध्याय I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1. (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन मार्केट) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में अपनी अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

परिभाषाएं

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहां परिभाषित शब्द नीचे दिए गए अर्थों को धारण करेंगे, और उनके समानार्थी और रूपांतरों को तदनुसार समझा जाएगा:
 - (क) "अधिनियम" अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से अभिप्रेत है;
 - (ख) "सहयोगी", किसी व्यक्ति के संबंध में, अन्य व्यक्ति को शामिल करेगा:
 - (i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर, प्रथम व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है;
 - (ii) जो प्रथम व्यक्ति के कुल मताधिकार के कम से कम बीस प्रतिशत पर नियंत्रण रखता हो;
 - (iii) जो प्रथम व्यक्ति की होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी हो;
 - (iv) जो प्रथम व्यक्ति का रिश्तेदार हो;
 - (v) जो हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य हो, जिसमें प्रथम व्यक्ति भी सदस्य हो;
 - (vi) ऐसे अन्य मामले जहां प्राधिकरण का विचार है कि किसी व्यक्ति को नियंत्रण, स्वतंत्रता और हितों के टकराव की सीमा सहित तथ्यों और कारकों के आधार पर सहयोगी माना जाएगा।
 - (ग) "प्राधिकरण" अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से अभिप्रेत है;
 - (घ) बुलियन निक्षेपागार रसीद के संबंध में "लाभार्थी स्वामी" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम बुलियन निक्षेपागार के पास दर्ज है;
 - (ङ) "बुलियन" का अभिप्राय सोना, चांदी या बार या गैर-आवंटित सोना,

चांदी या ऐसी अन्य कीमती धातुओं के रूप में कोई अन्य कीमती धातु से है, जिसे प्राधिकरण इस संबंध में प्रासंगिक समझे, जो समय-समय पर बुलियन व्यापार से संबंधित अच्छी वितरण, गुणवत्ता, मात्रा और किसी अन्य पहलू से संबंधित हो;

(च) "बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन" का अभिप्राय ऐसी एंटीटी से है जिसे बुलियन एक्सचेंज पर ट्रेडों के क्लियरिंग और निपटान कार्यकलाप करने के लिए इन विनियमों के अधीन मान्यता दी गई है;

(छ) "बुलियन क्लियरिंग सदस्य" का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकृत किसी भी बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन में क्लियरिंग अधिकार रखने वाली एंटीटी से है;

(ज) "बुलियन अनुबंध" का अभिप्राय बुलियन की खरीद और बिक्री के लिए किए गए अनुबंध से है, और इसमें बुलियन निक्षेपागार रसीदें, बुलियन निक्षेपागार रसीदों के समान बुलियन उत्पाद, प्राधिकरण द्वारा यथा-अनुमत्य बुलियन से संबंधित व्युत्पन्न अनुबंध, बुलियन स्पॉट वितरण अनुबंध और कोई अन्य बुलियन संबंधित अनुबंध शामिल हैं;

(झ) "बुलियन निक्षेपागार" का अर्थ है एक ऐसी इकाई जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बुलियन निक्षेपागार रसीदों सहित प्रतिभूतियों के संबंध में निक्षेपागार व्यवसाय करती है और प्राधिकरण द्वारा विनियमित होती है।;

(ञ) "बुलियन निक्षेपागार रसीद जिसमें अंतर्निहित बुलियन (बुलियन निक्षेपागार रसीद) है" का अभिप्राय बुलियन निक्षेपागार द्वारा बनाई गई रसीद और बुलियन एक्सचेंज पर सूचीबद्ध रसीद से है।

(ट) "बुलियन एक्सचेंज" का अभिप्राय ऐसी एंटीटी से है जिसे प्राधिकरण द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बुलियन निक्षेपागार रसीदों और बुलियन पर व्युत्पन्न अनुबंधों की खरीद, बिक्री और डीलिंग के व्यवसाय को सहायता देने, विनियमित या नियंत्रित करने के उद्देश्य से मान्यता प्रदान की गई है;

(ठ) "बुलियन बाजार" में बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार, वॉल्ट, उनमें निपटाए गए बुलियन अनुबंध और उनसे जुड़ी कोई अन्य एंटीटी शामिल है;

(ड) "बुलियन ट्रेडिंग सदस्य" का अभिप्राय ऐसी एंटीटी से है जिसके पास बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग अधिकार हैं;

(ढ) "उपभोक्ता" या "ग्राहक" का अभिप्राय बुलियन ट्रेडिंग सदस्य का घटक से है और इसमें प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट विशेष श्रेणी के ग्राहक या ऐसे अन्य व्यक्ति शामिल हैं;

(ण) "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या मिलकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप

से, उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से प्रयोग किए जा सकने वाले प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है।

(त) "जमाकर्ता" या "आपूर्तिकर्ता" का अभिप्राय ऐसे उपभोक्ता से है जो बुलियन को वाल्ट में भंडारण के लिए किसी बुलियन निक्षेपागार के साथ सूचीबद्ध वॉल्ट मैनेजर को सौंपता है;

(थ) "विदेशी क्षेत्राधिकार" का अभिप्राय भारत के अलावा किसी ऐसे देश से है, जिसका प्रतिभूति बाजार विनियामक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (परिशिष्ट क हस्ताक्षरकर्ता) का हस्ताक्षरकर्ता है या प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है, और जिसे वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल के सार्वजनिक वक्तव्य में इस रूप में चिह्नित नहीं किया गया है:

- (i) ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें कार्यनीतिक धन शोधन रोधी या आतंकवाद वित्तपोषण से मुकाबला करने की कमियां हैं, जिन पर जवाबी उपाय लागू होते हैं; या
- (ii) ऐसा क्षेत्राधिकार जिसने कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कृतिक बल के साथ विकसित कार्य योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं है;

(द) "अच्छे वितरण मानक" का अर्थ प्राधिकरण या प्राधिकरण या बुलियन एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य इकाई द्वारा अधिसूचित बुलियन की गुणवत्ता या मानक है;

(ध) "शासी बोर्ड" का अर्थ बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन निक्षेपागार के निदेशक मंडल से है;

(न) बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन निक्षेपागार के संबंध में "मुख्य प्रबंधन कार्मिक" का अर्थ होगा और इसमें शामिल होंगे:

- (i) प्रबंध निदेशक या कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति;
- (ii) किसी विभाग या वर्टिकल के प्रमुख के रूप में कार्यरत व्यक्ति और सीधे प्रबंध निदेशक या इसके शासी बोर्ड के निदेशकों को रिपोर्ट करना;
- (iii) इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग सी के अधीन निर्दिष्ट मुख्य कार्य के प्रमुख के रूप में कार्यरत व्यक्ति;
- (iv) कोई व्यक्ति जो मुख्य कार्य को संभालने वाले किसी विभाग(गों) के प्रमुख से पदानुक्रम में उच्चतर है;
- (v) कोई व्यक्ति जिसे मुख्य प्रबंधन कार्मिक रिपोर्ट करता है; कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति; या

(vi) कोई अन्य व्यक्ति जो इसके प्रबंध निदेशक या नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा चिह्नित किए गए प्रमुख निर्णय लेने वाले प्राधिकारी हैं।

(vii) "नेटिंग" का अभिप्राय बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा बुलियन एक्सचेंज में कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री से उत्पन्न होने वाले अंतर्संबंधी दायित्वों या दावों के समायोजन के लिए बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन एक्सचेंज द्वारा निर्धारण से उत्पन्न होने वाले दावों और दायित्वों सहित बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन एक्सचेंज द्वारा किसी बुलियन क्लियरिंग सदस्य या बुलियन ट्रेडिंग सदस्य या ग्राहक के दिवाला, समापन, परिसमापन या समाधान या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा अपने उप-नियमों में निर्दिष्ट ऐसी अन्य परिस्थितियों के बारे में भावी तारीख पर निपटान के लिए स्वीकार किए गए लेनदेन के बारे में निर्धारण से उत्पन्न होने वाले दावों और दायित्वों सहित बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा बुलियन क्लियरिंग सदस्यों के निवल भुगतान या वितरण दायित्वों का निर्धारण करने से है, ताकि केवल निवल दावे की मांग की जा सके या निवल दायित्व स्वीकार्य हो;

(फ) "निवल मूल्य" का अभिप्राय प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी और शेयर प्रीमियम खाते तथा मुक्त रिजर्व (वैधानिक निधियों, लाभ निधियों और पुनर्मूल्यांकन से निर्मित रिजर्व को छोड़कर) के कुल मूल्य से है, जो व्यवसायों में निवेश, चाहे वह संबंधित हो या असंबंधित हो, द्वारा घटाया जाता है, संचित घाटे का कुल मूल्य और स्थगित व्यय जो बट्टे खाते में नहीं डाला गया है और जिसमें विविध व्यय शामिल हैं।

(ब) "गैर-स्वतंत्र निदेशक" का अभिप्राय शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित या नामित निदेशक से है जो न तो बुलियन ट्रेडिंग सदस्य है और न ही बुलियन क्लियरिंग सदस्य, जैसा भी मामला हो, या उनके सहयोगी या एजेंट हैं।

(भ) "नवप्रवर्तन" का अभिप्राय बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा प्रत्येक व्यापार के पक्षों के बीच विधिक प्रतिपक्ष के रूप में हस्तक्षेप करने से है।

(म) "प्रतिभागी" का अभिप्राय इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत बुलियन निक्षेपागार प्रतिभागी है।

(य) "सार्वजनिक" में जनता का कोई भी सदस्य या वर्ग शामिल है, लेकिन इसमें कोई बुलियन ट्रेडिंग सदस्य या बुलियन क्लियरिंग सदस्य या उनके सहयोगी या एजेंट शामिल नहीं हैं।

(कक) "सार्वजनिक वित्तीय संस्थान" का वही अभिप्राय होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (72) में निर्दिष्ट है।

(खख) "सार्वजनिक हित निदेशक" का अभिप्राय स्वतंत्र निदेशक से है जो निवेशकों या व्यापारियों या बुलियन एक्सचेंज पर कारोबार की जाने वाली

प्रतिभूतियों के ग्राहकों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा संबंध नहीं है, जो प्राधिकरण की राय में उसकी भूमिका के विपरीत हो।

(गग) "रिकॉर्ड" या "दस्तावेजों" में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट अन्य प्ररूप में भौतिक रूप में बनाए गए रिकॉर्ड या दस्तावेज शामिल हैं।

(घघ) बुलियन निक्षेपागार रसीद के संबंध में "रजिस्ट्रीकृत स्वामी" का अभिप्राय बुलियन निक्षेपागार से है जिसका नाम वॉल्ट मैनेजर के रजिस्टर में इस रूप में दर्ज है।

(डड) "नियम" का अभिप्राय प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 से है;

(चच) "वॉल्ट" का अभिप्राय है कोई भी अनुमत परिसर जिसमें वॉल्ट मैनेजर जमाकर्ता द्वारा जमा किए गए बुलियन की अभिरक्षा लेता है और इसमें बुलियन के भंडारण के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमत अन्य स्थान शामिल है।

(छछ) "वॉल्ट व्यवसाय" का अभिप्राय बुलियन के भंडारण के लिए वॉल्ट स्थापित करने और बनाए रखने का व्यवसाय से है।

(जज) "वॉल्ट मैनेजर" का अभिप्राय है वॉल्ट के प्रबंधन के लिए प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत एंटिटी और वॉल्ट व्यवसाय करने के लिए बुलियन निक्षेपागार के साथ सूचीबद्ध।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त तथा परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम या अधिनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन में परिभाषित शब्द तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या उनमें किसी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

अध्याय II

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की मान्यता

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की मान्यता के लिए आवेदन

3. (1) कोई आवेदक जो बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के रूप में मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक है, वह प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्ररूप और तरीके से लागू शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन में प्राधिकरण द्वारा यथा-

निर्दिष्ट विवरण होंगे, तथा बुलियन अनुबंधों के विनियमन और नियंत्रण के लिए एसोसिएशन जापन, एसोसिएशन अनुच्छेद, उप-नियमों और अन्य दस्तावेजों की प्रति के साथ संलग्न किए जाएंगे, जिनमें निम्नांकित शामिल हैं।

(क) ऐसे बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड, इसके गठन और प्रबंधन की शक्तियों तथा जिस तरीके से इसका व्यवसाय किया जाना है, से सम्बंधित दस्तावेज।

(ख) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पदाधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

(ग) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन में विभिन्न श्रेणियों के सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता के लिए योग्यताएं, तथा ऐसे सदस्यों का बहिष्करण, निलंबन, निष्कासन और पुनः प्रवेश।

(घ) ऐसे अन्य मामले, जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के रूप में मान्यता प्रदान करने की शर्तें

4. (1) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जैसा भी मामला हो, के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा, अर्थात्:

(क) आवेदक शेयरों द्वारा सीमित कंपनी है।

(ख) आवेदक डीम्यूचुअलाइज्ड है।

(ग) आवेदक, उसके निदेशक और शेयरधारक जो शेयर रखते हैं या रखने का इरादा रखते हैं, इन विनियमों में निर्दिष्ट किए अनुसार योग्य और पात्र व्यक्ति है।

(घ) आवेदक इन विनियमों में निर्दिष्ट स्वामित्व और शासन संरचना से संबंधित शर्तों को पूरा करता है।

(ङ) आवेदक इन विनियमों में निर्दिष्ट शुद्ध मूल्य आवश्यकताओं को पूरा करता है।

(च) आवेदक के पास वित्तीय क्षमता, कार्यात्मक विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे सहित अपेक्षित क्षमता है।

स्पष्टीकरण: उप-खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिए, "डीम्यूचुअलाइज्ड" शब्द का अर्थ यह होगा कि आवेदक का स्वामित्व और प्रबंधन, इन विनियमों के अनुसार, व्यापारिक अधिकारों या समाशोधन अधिकारों से पृथक है।

(2) बुलियन एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा, अर्थात्:

(क) आवेदक के पास व्यापार के व्यवस्थित निष्पादन के लिए आवश्यक अवसंरचना है।

(ख) आवेदक के पास ऑनलाइन स्क्रीन-आधारित व्यापार प्रणाली है।

(ग) आवेदक के पास ऑनलाइन निगरानी क्षमता है जो बाजार अखंडता सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय में स्थिति, मूल्य और मात्रा की निगरानी करती है।

(घ) आवेदक के पास अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए बुलियन निक्षेपागार रसीदों को सूचीबद्ध करने के लिए पर्याप्त अवसंरचना है, जहां भी लागू हो।

(ङ) आवेदक के पास अपने सदस्यों को स्वीकार करने और विनियमित करने की पर्याप्त सुविधा सहित बुलियन ट्रेडिंग सदस्यों का व्यापक नेटवर्क रखने की अपेक्षित क्षमता है।

(च) आवेदक ने अपने बुलियन ट्रेडिंग सदस्यों और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की है।

(छ) आवेदक के पास व्यापार से उत्पन्न विवादों को सुलझाने तथा उनके निपटान के लिए पर्याप्त उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र तथा मध्यस्थता तंत्र है।

(ज) आवेदक के पास व्यापार, मात्रा तथा निविदा के बारे में सूचना को वास्तविक समय में कम से कम दो सूचना वेंडिंग नेटवर्कों तक प्रसारित करने की सुविधा है, और यह सुविधा उपभोक्ताओं के लिए सुलभ हैं।

(झ) आवेदक के पास आपदा रिकवरी साइट सहित व्यवसाय निरंतरता योजना द्वारा समर्थित पर्याप्त सिस्टम क्षमता है।

(ञ) आवेदक के पास पर्याप्त संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पास पर्याप्त व्यावसायिक तथा अन्य प्रासंगिक अनुभव है; तथा

(ट) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य शर्तें।

(3) बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के रूप में मान्यता चाहने वाला आवेदक, उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात्:

(क) आवेदक के पास व्यापारों का समय पर क्लियरिंग तथा निपटान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना है;

(ख) आवेदक के पास पर्याप्त जोखिम प्रबंधन तंत्र है;

(ग) आवेदक के पास नेटिंग, नवीकरण और व्यापार के निपटान के लिए गारंटी सहित निपटान प्रक्रिया है, जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके के अनुसार है;

(घ) आवेदक के पास व्यापार के निपटान की गारंटी के लिए एक कोष स्थापित करने की क्षमता है;

(ङ) आवेदक के पास बुलियन क्लियरिंग सदस्यों का व्यापक नेटवर्क रखने की आवश्यक क्षमता है और अपने सदस्यों को स्वीकार करने और विनियमित करने के लिए पर्याप्त सुविधा है;

(च) आवेदक के पास बुलियन निक्षेपागार, क्लियरिंग बैंक, बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित करने की आवश्यक क्षमता है;

(छ) आवेदक के पास समाशोधित और निपटाए गए व्यापारों के ऑन-लाइन/वास्तविक समय जोखिम प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रणाली क्षमता है और आपदा रिकवरी साइट सहित उपयुक्त व्यवसाय निरंतरता योजना द्वारा समर्थित है;

(ज) आवेदक के पास प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पर्याप्त व्यावसायिक और अन्य प्रासंगिक अनुभव है;

(झ) आवेदक के पास व्यापारों के समाशोधन और निपटान से उत्पन्न विवादों को सुलझाने और शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं हैं;

(ञ) आवेदक ने व्यापारों के समाशोधन और निपटान के संबंध में बुलियन निक्षेपागार और बुलियन एक्सचेंज के साथ समझौता किया हुआ है; और

(ट) प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य शर्तें।

(4) प्राधिकरण, इन विनियमों में निर्धारित शर्तों का अनुपालन करने की आवेदक की क्षमता से संतुष्ट होने पर, आवेदक को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर सकता है जो एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

बशर्ते कि प्राधिकरण, आवेदक द्वारा दर्शाए गए पर्याप्त कारण के साथ, सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता को छह महीने से अधिक अवधि या प्राधिकरण द्वारा यथानिर्दिष्ट किसी अन्य अवधि के लिए बढ़ा सकता है।

(5) प्राधिकरण, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को मान्यता प्रदान करने से पहले, पूछताछ कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज, जो वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है।

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के रूप में मान्यता प्रदान करना

5. प्राधिकरण, आवेदन पर विचार करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक ने विनियमन 5 में निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है

और बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र है, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 4 के अनुसार आवेदक को मान्यता प्रदान कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है, जो वह उचित समझे।

बशर्ते कि प्राधिकरण प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत निर्धारित तरीके से सुनवाई का अवसर देने के पश्चात बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को मान्यता देने से इंकार कर सकता है।

मान्यता की अवधि

6. (1) बुलियन एक्सचेंज को दी जाने वाली मान्यता की अवधि नियमों के नियम 6 के अनुसार होगी।
- (2) बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को दी जाने वाली मान्यता, जब तक कि स्थायी आधार पर न दी गई हो, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट एक वर्ष से कम अवधि के लिए नहीं होगी।

मान्यता का नवीकरण

7. (1) इन विनियमों के उपबंध, जो मान्यता प्रदान करने के लिए लागू होते हैं, वही बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन के संबंध में भी लागू होंगे।
- (2) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, विनियमन 4 के उप-विनियमन (2) और उप-विनियमन (3), जैसा भी मामला हो, में निर्दिष्ट लागू शर्तों का निरंतर आधार पर अनुपालन करेगा।

मान्यता वापस लेना

8. बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को दी गई मान्यता, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 5 के अधीन प्रदान की गई विधि के अनुसार, सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद प्राधिकरण द्वारा वापस ली जा सकती है।

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए आचार संहिता

9. बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग-क के अधीन यथा-निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेगा।

अध्याय III

बुलियन एक्सचेंज का परिचालन फ्रेमवर्क

व्यापारों का समाशोधन और निपटान

10. प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज अपने परिचालन के प्रारंभ की तारीख से अपने व्यापारों के समाशोधन और निपटान के लिए बुलियन समाशोधन निगम की सेवाओं का उपयोग करेगा।

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम के बीच समझौता

11. (1) उप-विनियमन (2) के उपबंधों के अधीन, बुलियन एक्सचेंज अपने अधिकारों और दायित्वों, समाशोधन और निपटान के लिए प्रतिभूतियों के प्रवेश की शर्तों, जोखिम प्रबंधन उपायों, समाशोधन और निपटान शुल्क और अन्य आकस्मिक और परिणामी मामलों को निर्धारित करने वाले उनके बीच हुए लिखित समझौते के अनुसार बुलियन समाशोधन निगम की सेवा का लाभ उठाएगा।
- (2) बुलियन एक्सचेंज ऐसे बुलियन एक्सचेंज पर निष्पादित व्यापारों के समाशोधन और निपटान से उत्पन्न विवादों या दावों के निपटान के लिए अपने मध्यस्थता तंत्र का विस्तार करेगा।

बुलियन एक्सचेंज के कार्य

12. (1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन, बुलियन एक्सचेंज का यह कर्तव्य होगा कि वह बुलियन बाजार में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे, बुलियन अनुबंधों को विनियमित करे, तथा बुलियन उद्योग में एसोसिएशनों, वैश्विक एजेंसियों या संस्थाओं के साथ मिलकर बुलियन बाजार के विकास, पारदर्शिता और व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने के लिए ऐसे उपाय करे, जिन्हें बुलियन एक्सचेंज उचित समझे, जिसमें ऐसे उपाय शामिल हैं, जिन्हें प्राधिकरण समय-समय पर निर्देशित कर सकता है।
- (2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उपर्युक्त उपाय निम्नलिखित के लिए प्रावधान कर सकते हैं।
- (क) बुलियन अनुबंधों को विनियमित करना।
- (ख) बुलियन ट्रेडिंग सदस्यों और ऐसे अन्य मध्यस्थों के कामकाज को विनियमित करना, जो बुलियन एक्सचेंज से जुड़े हो सकते हैं।
- (ग) अच्छे वितरण मानकों को स्थापित करना और लागू करना।
- (घ) बुलियन बाजार में धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाना।
- (ङ) बुलियन बाजार के बिचौलियों के लिए उपभोक्ताओं की शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना।

(च) बुलियन एक्सचेंज से जुड़े बुलियन ट्रेडिंग सदस्यों, बिचौलियों और अन्य व्यक्तियों से जानकारी मांगना, निरीक्षण करना, पूछताछ करना और ऑडिट करना।

(छ) इन विनियमों के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए शुल्क या अन्य प्रभार लगाना।

(ज) गुणवत्ता, मात्रा और अन्य मापदंडों के मानक और ऐसे मानकों के सत्यापन के साधन निर्धारित करना।

(झ) बुलियन निक्षेपागार के परामर्श से बुलियन की वाल्ट और परिवहन के लिए मानक निर्धारित करना; और

(ञ) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्य निष्पादित करना।

अध्याय IV

बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के सामान्य दायित्व

सामान्य दायित्व

13. बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन इन विनियमों और संबंधित बुलियन एक्सचेंज के साथ किए गए समझौते का अनुपालन करेगा, साथ ही प्राधिकरण द्वारा लगाई जा सकने वाली अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा।

निपटान और नेटिंग

14. (1) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन में लेनदेन के संबंध में भुगतान और निपटान ऐसे बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के उप-नियमों में निर्दिष्ट नेटिंग या ग्रॉसिंग प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट पक्षों के बीच लेनदेन के संबंध में भुगतान और निपटान, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के उप-नियमों के अधीन किया गया, अंतिम, अपरिवर्तनीय और ऐसे पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

(3) जब कोई समझौता अंतिम और अपरिवर्तनीय हो जाता है, तो बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का, जैसा भी मामला हो, बुलियन ट्रेडिंग सदस्य, बुलियन क्लियरिंग सदस्य या उपभोक्ता द्वारा बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के उप-नियमों के अनुसार अपने निपटान या अन्य दायित्वों के लिए दिए गए किसी भी संपार्श्विक या जमा या मार्जिन को विनियोजित करने का अधिकार, बुलियन ट्रेडिंग सदस्य, बुलियन क्लियरिंग सदस्य या उपभोक्ता के विरुद्ध किसी अन्य दायित्व या दावे पर प्राथमिकता लेगा, जैसा भी मामला हो।

स्पष्टीकरण: संदेह के निराकरण के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस

विनियमन में संदर्भित निपटान, चाहे वे सकल हों या निवल हों, अंतिम और अपरिवर्तनीय है जैसे ही ऐसे समाधान के परिणामस्वरूप देय धन, प्रतिभूतियां या अन्य लेनदेन निर्धारित कर दिए जाते हैं, चाहे ऐसे धन, प्रतिभूतियां या अन्य लेनदेन वास्तव में प्रदाय किए गए हों या नहीं।

बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का अधिकार

15. बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को अपने बुलियन क्लियरिंग सदस्यों से उनके क्लियरिंग और निपटान कार्यों के निर्वहन से उत्पन्न होने वाले बकाया, बुलियन क्लियरिंग सदस्यों की संपार्श्विक, जमाराशि और परिसंपत्तियों से वसूलने का अधिकार, बुलियन क्लियरिंग सदस्यों के विरुद्ध किसी अन्य देयता या दावे की तुलना में प्राथमिक होगा।

व्यवस्थित समापन

16. (1) प्रत्येक बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों परिदृश्यों को कवर करते हुए अपने महत्वपूर्ण संचालन और सेवाओं को व्यवस्थित समापन के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा और उसे बरकरार रखेगा।

(2) ऐसी रूपरेखा निम्नलिखित के लिए प्रावधान करेगी:

(क) स्थिति(यों) का समय पर और व्यवस्थित निपटान या समाप्ति या अंतरण;

(ख) सदस्यों की संपार्श्विक(कों) या जमा(ओं) या मार्जिन(नों) या किसी अन्य परिसंपत्ति(यों) का दूसरे बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को अंतरण जो बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के संचालन को संभालेगा; और

(ग) ऐसे अन्य संबंधित मामले।

अध्याय V

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का निवल मूल्य

निवल मूल्य आवश्यकताएँ

17. (1) बुलियन एक्सचेंज का न्यूनतम निवल मूल्य हर समय 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर होना चाहिए।
- (2) बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का न्यूनतम निवल मूल्य हर समय 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर होना चाहिए।
- (3) यदि आवश्यक हो, तो जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में, प्राधिकरण बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए उनके संबंधित व्यवसाय की प्रकृति और पैमाने के आधार पर उच्च निवल मूल्य निर्दिष्ट

कर सकता है।

(4) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने शेयरधारकों को किसी भी तरह से लाभ वितरित नहीं करेगा जब तक कि इस विनियमन में निर्दिष्ट निवल मूल्य हासिल नहीं हो जाता।

(5) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन पिछले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे दिन तक वार्षिक आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा जारी एक लेखापरीक्षित निवल मूल्य प्रमाणपत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय VI

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का स्वामित्व

सामान्य शर्तें

18. (1) इन विनियमों में अन्यथा उपबंध के सिवाय, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन में किसी व्यक्ति की शेयरधारिता या मतदान अधिकार किसी भी समय इस अध्याय में उल्लिखित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे।
- (2) इस अध्याय में उल्लिखित शेयरधारिता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाला कोई भी उपकरण शामिल होगा जो भविष्य में किसी भी तारीख पर इक्विटी या इक्विटी पर अधिकार का अधिकार प्रदान करता हो।

बुलियन एक्सचेंज में शेयरधारिता

19. (1) बुलियन एक्सचेंज में शेयरधारिता निम्नलिखित द्वारा धारण की जाएगी:
- (क) भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में मान्यता प्राप्त बुलियन एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज, जिसके पास बुलियन एक्सचेंज की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का न्यूनतम छब्बीस प्रतिशत हो; या
- (ख) भारत में मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों का संयुक्त उद्यम, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या विदेशी क्षेत्राधिकार, जिसके पास ऐसे संयुक्त उद्यम द्वारा धारित बुलियन एक्सचेंज की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत हो।
- बशर्ते कि भारत में मान्यता प्राप्त बुलियन एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज, एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या एक विदेशी क्षेत्राधिकार, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संयुक्त उद्यम में इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता रखेगा।

(2) भारत, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या विदेशी क्षेत्राधिकार में कोई अन्य व्यक्ति किसी भी समय, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर, बुलियन एक्सचेंज में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का पच्चीस प्रतिशत से अधिक अर्जित या धारण नहीं करेगा।

बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में शेयरधारिता

20. (1) बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में शेयरधारिता निम्नलिखित द्वारा धारण की जाएगी:

(क) भारत में मान्यता प्राप्त बुलियन एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र या विदेशी क्षेत्राधिकार, बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का न्यूनतम छब्बीस प्रतिशत; या

(ख) भारत में मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों का संयुक्त उद्यम, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र या विदेशी क्षेत्राधिकार, बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का न्यूनतम इक्यावन प्रतिशत, ऐसे संयुक्त उद्यम द्वारा धारण की गई हो:

बशर्ते कि भारत में मान्यता प्राप्त बुलियन एक्सचेंज(जों) या स्टॉक एक्सचेंज(जों), अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र या विदेशी क्षेत्राधिकार के पास संयुक्त उद्यम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता हो।

(2) भारत, किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में कोई अन्य व्यक्ति किसी भी समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत रूप से या मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का अधिग्रहण या धारण नहीं करेगा।

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में शेयर प्राप्त करने या धारण करने की पात्रता

21. (1) कोई भी व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के किसी भी इक्विटी शेयर या वोटिंग अधिकार को तब तक प्राप्त या धारण नहीं करेगा जब तक कि वह योग्य और उचित व्यक्ति न हो:

बशर्ते कि बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि उसके सभी शेयरधारक योग्य और उचित व्यक्ति हैं:

इसके अलावा यह भी कि यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा कि उसके सभी

शेयरधारक योग्य और उचित व्यक्ति हैं, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन पर ऐसे व्यक्ति की शेयरधारिता के लिए लागू नहीं होगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के दो प्रतिशत से कम इक्विटी शेयर या वोटिंग अधिकार प्राप्त या धारण करता है।

(2) कोई भी व्यक्ति जो प्रदत्त इक्विटी शेयरों या वोटिंग अधिकारों का पांच प्रतिशत से अधिक प्राप्त या धारण करने के लिए पात्र है, वह पांच प्रतिशत से अधिक प्राप्त या धारण कर सकता है। बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन में प्रदत्त इक्विटी शेयरों या वोटिंग अधिकारों का केवल तभी उपयोग किया जा सकता है, जब उसने प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर ली हो।

(3) इस विनियमन के उप-विनियमन (2) के अनुसार अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राधिकरण को संबंधित बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से किया जाएगा।

(4) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन शेयरधारकों द्वारा दी गई घोषणाओं या वचनों का सत्यापन करेगा और प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए अपनी सिफारिश के साथ आवेदन अग्रोषित करेगा।

शेयरधारिता सीमाओं की निगरानी

22. बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन इन विनियमों में निर्दिष्ट शेयरधारिता शर्तों का हर समय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी तंत्र स्थापित करेगा।

शेयरधारिता का प्रकटीकरण

23. बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक तिमाही के अंत से पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को अपने शेयरधारिता पैटर्न का खुलासा करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) दस सबसे बड़े शेयरधारकों के नाम, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और प्रतिशत; और

(ख) उन शेयरधारकों के नाम जिन्होंने उस तिमाही में शेयर खरीदे थे।

रिकॉर्ड रखना

24. लागू अन्य कानूनों के अधीन आवश्यकताओं के अतिरिक्त, बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपनी प्रतिभूतियों के निर्गम या अंतरण से संबंधित सभी बहियों, रजिस्ट्रों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेखों को कम से कम आठ वर्षों की अवधि के लिए बनाए रखेगा और सुरक्षित रखेगा।

अध्याय VII

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का शासन

शासी बोर्ड की संरचना

25. (1) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) द्वारा निर्धारित शासन के व्यापक सिद्धांतों और वित्तीय बाजार अवसंरचना (पीएफएमआई) के सिद्धांतों और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले अन्य शासन मानदंडों को अपनाएगा।
- (2) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- (i) गैर-स्वतंत्र निदेशक;
 - (ii) सार्वजनिक हित निदेशक; और
 - (iii) प्रबंध निदेशक।
- (3) प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के अधीन, अध्यक्ष का चुनाव सार्वजनिक हित निदेशकों में से शासी बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
- (4) सार्वजनिक हित निदेशकों की संख्या शासी बोर्ड में गैर-स्वतंत्र निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी।
- (5) प्रबंध निदेशक को गैर-स्वतंत्र निदेशकों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।
- (6) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के किसी भी कर्मचारी को प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त शासी बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और ऐसा निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशक माना जाएगा।
- (7) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई भी ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य, या उनके सहयोगी और एजेंट, चाहे वे बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के सदस्य हों, शासी बोर्ड में नहीं होंगे।
- (8) उप-विनियमन (7) के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति जो किसी एंटीटी में निदेशक है, जो ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य है या जिसके सहयोगी ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य हैं, उसे ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य माना जाएगा।
- बशर्ते कि कोई व्यक्ति उप-विनियमन (7) के प्रयोजन के लिए ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य या उनका सहयोगी नहीं माना जाएगा, यदि वह किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के बोर्ड में है और ऐसा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या उसका सहयोगी ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य है:

आगे यह भी कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के सहयोगियों के स्वतंत्र निदेशक, जो ट्रेडिंग सदस्य और/या क्लियरिंग सदस्य हैं और जहां बहुसंख्यक शेयरधारिता ऐसे सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की है, उप-विनियम (7) के प्रयोजन के लिए ट्रेडिंग सदस्य और/या क्लियरिंग सदस्य नहीं माने जाएंगे।

(9) निदेशक की नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी।

(10) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, निरंतर आधार पर उप-विनियम (7) के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके शासी बोर्ड में नियुक्त निदेशक ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य के साथ संबद्ध न हों।

(11) शासी बोर्ड की बैठक के लिए कोरम बनाने के लिए जनहित निदेशकों की संख्या गैर-स्वतंत्र निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी।

(12) शासी बोर्ड की बैठक में किसी प्रस्ताव पर मतदान तभी वैध होगा जब ऐसे प्रस्ताव पर मतदान करने वाले जनहित निदेशकों की संख्या ऐसे प्रस्ताव पर मतदान करने वाले गैर-स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के बराबर या उससे अधिक हो।

(13) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड की बैठकों में मतदान करने का अधिकार शासी बोर्ड के अध्यक्ष के पास होगा।

(14) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड में बुलियन मार्केट, प्रतिभूति बाजार, वित्त और लेखा, विधिक और विनियामक प्रेक्टिस, प्रौद्योगिकी, जोखिम प्रबंधन या प्रबंधन या प्रशासन के क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता और अनुभव रखने वाले निदेशक शामिल होंगे:

बशर्ते कि बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड में कम से कम एक सार्वजनिक हित निदेशक शामिल होगा, जिसके पास बुलियन मार्केट, प्रतिभूति बाजार, वित्त और लेखा, विधिक और विनियामक प्रेक्टिस और प्रौद्योगिकी के प्रत्येक क्षेत्र में अपेक्षित योग्यता और अनुभव हो।

(15) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन अन्य क्षेत्रों में योग्यता और अनुभव रखने वाले निदेशकों को भी नियुक्त कर सकता है जो उनके लिए विशिष्ट हो सकते हैं:

बशर्ते कि बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन यह सुनिश्चित करेगा कि शासी बोर्ड सामूहिक रूप से उप-विनियमन (14) में निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव वाले निदेशकों से बना हो।

निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें

26. (1) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी

बोर्ड में सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से होगी।

(2) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड में जनहित निदेशकों की नियुक्ति प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी।

(3) जनहित निदेशकों की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 वर्ष किया जाएगा।

बशर्ते कि पचहतर वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड में जनहित निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(4) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड में जनहित निदेशक, इसकी सहायक कंपनी के बोर्ड में या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में किसी अन्य मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान के बोर्ड में या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में ऐसे अन्य मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर संस्थान की सहायक कंपनी के बोर्ड में एक साथ निदेशक के रूप में कार्य नहीं करेगा।

(5) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड में जनहित निदेशक, इसके शासी बोर्ड को किसी भी हित संघर्ष से अवगत रखेगा, जो जनहित निदेशक द्वारा किसी ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य या उनके सहयोगियों और एजेंटों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवाएं प्रदान करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हो सकता है।

(6) कोई भी जनहित निदेशक गैर-स्वतंत्र निदेशक नहीं बन सकता है, जब तक कि जनहित निदेशक के पद से हटने के बाद तीन वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि न हो।

(7) किसी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के बोर्ड में कोई भी जनहित निदेशक, उस बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जैसा भी मामला हो, की सहायक कंपनी के बोर्ड में निदेशक नहीं बनेगा जब तक कि जनहित निदेशक के पद से हटने के बाद तीन वर्ष की कूलिंग-ऑफ अवधि न हो।

(8) यदि कोई मुद्दा उठता है कि क्या किसी जनहित निदेशक को सौंपा गया कार्य या पद उसकी भूमिका के विपरीत है, तो प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

(9) निदेशकों की नियुक्ति के लिए आवेदन इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग-घ के अधीन निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक

27. (1) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति, नियुक्ति का नवीनीकरण, सेवा से हटाया जाना या सेवा की समाप्ति, देय प्रतिपूर्ति सहित, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगी।

बशर्ते कि प्रबंध निदेशक के प्रतिपूर्ति की शर्तों और नियमों को प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निदेशों के अधीन, प्रबंध निदेशक के चयन/नियुक्ति से संबंधित योग्यता, नियुक्ति का तरीका, नियुक्ति की शर्तों और नियम तथा अन्य प्रक्रियात्मक औपचारिकताएं निर्धारित करेगा।

(3) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं होगी:

बशर्ते कि पहले कार्यकाल के पूरा होने के बाद, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का नए सिरे से संचालन करेगा:

इसके अतिरिक्त यह भी कि कोई व्यक्ति अधिकतम दस वर्ष की अवधि के लिए बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर सकता है, अधिकतम आयु सीमा पैंसठ वर्ष के अध्यक्षीन होगी।

(4) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक-

(क) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का शेयरधारक या शेयरधारक का सहयोगी या बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जैसा भी मामला हो, के सहयोगी का शेयरधारक नहीं होगा;

(ख) बुलियन ट्रेडिंग सदस्य या बुलियन क्लियरिंग सदस्य या बुलियन ट्रेडिंग सदस्य या बुलियन क्लियरिंग सदस्य का सहयोगी या एजेंट या शेयरधारक हो या बुलियन ट्रेडिंग सदस्य या बुलियन क्लियरिंग सदस्य के सहयोगी या एजेंट का शेयरधारक हो; या

(ग) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी में या बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन से संबद्ध किसी अन्य इकाई में कोई पद धारण करे:

बशर्ते कि बुलियन एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक को बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी के शासी बोर्ड में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन प्रबंध निदेशक के रूप में नहीं।

(5) प्रबंध निदेशक प्राधिकरण द्वारा जारी निदेशों, दिशा-निदेशों और अन्य आदेशों या बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के नियमों, एसोसिएशन के लेखों, उप-नियमों और विनियमों को प्रभावी करने में विफल रहने पर प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड द्वारा सेवाओं को हटाने या समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) यदि प्रतिभूति बाजार या सर्राफा बाजार के हित में उचित समझा जाए तो प्राधिकरण प्रबंध निदेशक को हटाने या नियुक्ति समाप्त करने की प्रक्रिया स्वप्रेरणा से आरंभ कर सकता है:

बशर्ते कि किसी प्रबंध निदेशक को तब तक नहीं हटाया जाएगा या उसकी नियुक्ति समाप्त नहीं की जाएगी जब तक उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

शासी बोर्ड, निदेशकों, समिति सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता

28. (1) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड, निदेशक, समिति सदस्य और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक इन विनियमों की अनुसूची I के भाग-ख के अंतर्गत निर्दिष्ट आचार संहिता के अधीन होंगे।

(2) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अध्याय XIV में दिए गए अनुसार पात्र और उचित व्यक्ति होंगे।

(3) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन में किसी भी गलत कार्य के बारे में पता चलने पर प्रत्येक निदेशक, समिति सदस्य और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक इसकी सूचना तुरंत अपने शासी बोर्ड या प्राधिकरण को देंगे।

(4) निदेशकों, समिति के सदस्यों या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों द्वारा इन विनियमों या आचार संहिता के किसी प्रावधान का पालन करने में किसी भी विफलता या किसी भी हित संघर्ष के मामले में प्राधिकरण बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन से संदर्भ या स्वप्रेरणा से उनकी नियुक्ति को हटाने या समाप्त करने सहित उचित कार्रवाई कर सकता है।

बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी।

कार्यों का पृथक्करण

29. (1) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने कार्यों की पहचान करेगा और उन्हें निम्नलिखित वर्टिकल में अलग करेगा:

(क) वर्टिकल 1: महत्वपूर्ण संचालन;

(ख) वर्टिकल 2: विनियामक, विधिक, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक शिकायतें; और

(ग) वर्टिकल 3: व्यवसाय विकास सहित अन्य कार्य।

(2) उप-विनियमन (1) के अधीन वर्टिकल के कार्य इन विनियमों की अनुसूची I के भाग ग में दिए गए हैं।

(3) उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत कार्यों को बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा उप-

विनियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत कार्यों की तुलना में संसाधन आवंटन के संदर्भ में उच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन उप-विनियम (1) में उल्लिखित पहले दो कार्यक्षेत्रों को आवंटित संसाधनों की पर्याप्तता का समय-समय पर और वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकन करेगा।

वैधानिक समितियां

30. (1) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऐसी समितियों का गठन करेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अंतर्गत समितियों की संरचना, कोरम और कार्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से होंगे।

अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति

31. (1) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा जो अधिनियम के उपबंधों या प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी प्रासंगिक नियमों, विनियमों और परिपत्रों, दिशा-निर्देशों या निर्देशों के अनुपालन की निगरानी के लिए उत्तरदायी होगा, और ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए भी उत्तरदायी होगा।

(2) अनुपालन अधिकारी उप-विनियम (1) में संदर्भित किसी भी गैर-अनुपालन की तुरंत और स्वतंत्र रूप से प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा, और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से तिमाही की समाप्ति के 45 दिनों के भीतर तिमाही आधार पर प्राधिकरण को इस बारे में रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा।

मुख्य जोखिम अधिकारी की नियुक्ति

32. (1) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कामकाज से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक कदमों की पहचान, निगरानी और पहल करने के लिए मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) मुख्य जोखिम अधिकारी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के समय जोखिम प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा और छमाही आधार पर छमाही की समाप्ति से 90 दिनों के भीतर प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

मुख्य विधिक अधिकारी की नियुक्ति

33. (1) कोई बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जो किसी बाजार अवसंरचना संस्थान की सहायक कंपनी या बाजार अवसंरचना संस्थानों का संयुक्त उद्यम नहीं है, को मुख्य विधिक अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक होगा।

(2) कोई बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जो किसी बाजार अवसंरचना संस्थान की सहायक कंपनी या बाजार अवसंरचना संस्थानों का संयुक्त उद्यम है, अपनी मूल एंटीटी से विधिक सहायता ले सकता है।

बशर्ते कि यदि मूल एंटीटी द्वारा अपेक्षित विधिक सहायता प्रदान नहीं की जाती है, तो ऐसा बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने विधिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए मुख्य विधिक अधिकारी नियुक्त करेगा।

इसके अलावा यह भी कि प्राधिकरण किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में निर्दिष्ट आकार और परिचालन के पैमाने से परे किसी भी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को मुख्य विधिक अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता कर सकता है।

(3) मुख्य विधिक अधिकारी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कामकाज से जुड़े विधिक जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं-

- (क) प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने से पहले उप-नियमों या उनमें किए गए किसी संशोधन का प्रारूपण और पुनरीक्षण;
- (ख) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तावित किसी सीमा-पार व्यवस्था से संबंधित विधिक दस्तावेजों की पुनरीक्षण; और
- (ग) ऐसे अन्य कार्य जो बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति

34. (1) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के अतिरिक्त एक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी को अलग से नियुक्त करेगा।

(2) मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की साइबर सुरक्षा स्थिति की देखरेख के लिए उत्तरदायी होगा और सीधे प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

अध्याय VIII

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के सामान्य दायित्व

उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि

35. प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज उपभोक्ता शिक्षा को बढ़ावा देने और बुलियन ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा चूक के मामले में उपभोक्ताओं को मुआवजा प्रदान करने के लिए, प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि स्थापित करेगा।

निपटान गारंटी निधि

36. (1) प्रत्येक बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन बुलियन एक्सचेंज पर निष्पादित ट्रेडों के निपटान की गारंटी के लिए एक निपटान गारंटी निधि स्थापित करेगा और उसे बरकरार रखेगा।
- (2) निपटान गारंटी निधि में योगदान बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन ट्रेडिंग सदस्यों और क्लियरिंग सदस्यों द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (3) यदि बुलियन क्लियरिंग सदस्य अपने निपटान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, तो निपटान गारंटी निधि में पड़ी राशि का उपयोग निपटान को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
- (4) निधि का कोष बुलियन क्लियरिंग सदस्य(सदस्यों) की विफलता के कारण उत्पन्न होने वाले निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।
- (5) निधि के कोष की पर्याप्तता का परीक्षण प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से आवधिक तनाव परीक्षणों के माध्यम से किया जाएगा।
- (6) निधि में कम से कम मासिक तनाव परीक्षण मूल्य से प्राप्त न्यूनतम आवश्यक कोष या 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, जो भी अधिक हो, के बराबर कोष होगा।
- (7) निधि का उपयोग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

लाभ और निवेश का उपयोग

37. (1) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा लाभ और निवेश का उपयोग प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।
- (2) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना निधियों के निवेश या अन्यथा से संबंधित कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगा;

बशर्त कि राजकोषीय निवेश के मामले में प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी यदि ऐसे निवेश बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार हैं;

इसके अलावा यह भी कि बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक अलग विधिक इकाई के माध्यम से और प्राधिकरण की स्वीकृति के अधीन, जैसा भी मामला हो, निधियों के निवेश या अन्यथा से संबंधित गतिविधियों में संलग्न हो सकता है जो बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के रूप में अपनी गतिविधि से असंबंधित या आकस्मिक नहीं हैं।

समान, निष्पक्ष और पारदर्शी पहुंच

38. (1) बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन यह सुनिश्चित करने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार करेगा कि शेयरधारक बुलियन एक्सचेंज पर निष्पादित व्यापारों के निपटान में क्लियरिंग और निपटान सेवाएं प्रदान करते समय गैर-शेयरधारक बुलियन एक्सचेंज पर निष्पादित व्यापारों से कोई भेदभाव न हो।
- (2) ऐसा फ्रेमवर्क बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा और वह आधार प्रदान करेगा जिस पर बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की क्लियरिंग और निपटान सेवाओं तक पहुंच शेयरधारक बुलियन एक्सचेंज को प्रदान की गई है, साथ ही वह तरीका भी बताएगा जिससे क्लियरिंग और निपटान सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने के लिए गैर-शेयरधारक बुलियन एक्सचेंज द्वारा उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाना चाहिए।
- (3) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपने सहयोगियों और संबंधित संस्थाओं के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के सभी व्यक्तियों के लिए समान, अप्रतिबंधित, पारदर्शी और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- (4) यदि किसी बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की सेवाओं तक गैर-भेदभावपूर्ण पहुंच के संबंध में कोई मुद्दा उठता है, तो प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

सूचना और डेटा साझाकरण नीति

39. (1) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन गोपनीय और संवेदनशील डेटा सहित डेटा के साझाकरण और निगरानी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करेगा।
- (2) इस तरह के फ्रेमवर्क में निम्नलिखित शामिल होंगे: -
- (क) डेटा साझा करने के साधन और तरीके;
- (ख) डेटा के प्रकार जिन्हें साझा किया जा सकता है;

- (ग) डेटा साझा करने के लिए एस्केलेशन मैट्रिक्स;
- (घ) प्राप्तकर्ताओं के साथ साझा की गई जानकारी और साझा करने के कारणों आदि के विवरण को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल डेटाबेस रखने की व्यवस्था करना;
- (च) साझा किए गए डेटा की निगरानी के लिए तंत्र, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, नीतिगत फ्रेमवर्क के अनुपालन को सुनिश्चित करने के आवधिक ऑडिट आयोजित करना; और
- (छ) जवाबदेही तंत्र, जिसमें डेटा साझाकरण नीति के किसी भी उल्लंघन के मामले में व्यक्तिगत जवाबदेही तय करना शामिल है।

अध्याय IX

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की सदस्यता के लिए योग्यता योग्यता मानदंड

योग्यता मानदंड

40. बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के उपनियम, जैसा भी मामला हो, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को सदस्यता प्रदान करने के लिए योग्यता मानदंड निर्धारित करेंगे, जिसमें शामिल हैं-
- (i) संगठनात्मक संरचना का स्वरूप, व्यावसायिक कर्मचारियों की न्यूनतम योग्यताएं और अनुभव,
- (ii) प्रमुख वित्तीय अनुपातों की सीमा, अयोग्यताएं, सदस्यों की श्रेणियां, न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकताएं और सीमा, यदि कोई हो, के संदर्भ में वित्तीय शक्ति, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन में ऐसे सदस्य द्वारा किए जा सकने वाले व्यापार या क्लियरिंग या निपटान की मात्रा,
- (iii) सदस्यता के लिए आवेदनों को बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा संसाधित करने का तरीका,
- (iv) आवेदकों और सदस्यों के हितों के टकराव, नैतिक व्यवहार और आचरण से बचने के प्रावधान।

बुलियन एक्सचेंज के सदस्य और उपभोक्ता के बीच अनुबंध

41. बुलियन एक्सचेंज के सदस्यों या बुलियन क्लियरिंग सदस्य या उपभोक्ता के बीच अनुबंध लिखित रूप में होगा और बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जिसके वे सदस्य हैं, जैसा भी मामला हो, के नियमों और उप-नियमों के अनुसार लागू किया जाएगा।

अध्याय X

बुलियन निक्षेपागार

42. आईएफएससीए (बाजार अवसंरचना संस्थान) विनियमन, 2021 में निर्दिष्ट निक्षेपागार के लिए मान्यता प्रदान करने, व्यवसाय शुरू करने, निवल मूल्य, स्वामित्व और शासन मानदंडों से संबंधित उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ बुलियन निक्षेपागार पर लागू होंगे।

बुलियन निक्षेपागार के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं

43. (1) आईएफएससीए (मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस) विनियम, 2021 में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अतिरिक्त, बुलियन निक्षेपागार को रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने पर विचार करने के लिए, प्राधिकरण इस बात पर भी विचार करेगा कि क्या बुलियन निक्षेपागार के पास-
- (क) उप-नियम और विधिक दस्तावेज हैं जो बुलियन निक्षेपागार के उद्देश्य और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के अनुरूप हैं; और
- (ख) किसी वॉल्ट मैनेजर के साथ कोई समझौता किया है जिसके पास बुलियन के सुरक्षित भंडारण के लिए आवश्यक बुनियादी फ्रेमवर्क और मानक हैं;
- (2) प्राधिकरण, इन विनियमों के अधीन बुलियन निक्षेपागार को अपना परिचालन शुरू करने की स्वीकृति देने से पहले, बुलियन निक्षेपागार द्वारा स्थापित बुनियादी सुविधाओं और प्रणालियों का भौतिक सत्यापन करेगा।

अध्याय XI

बुलियन निक्षेपागार, प्रतिभागियों और लाभकारी स्वामियों के अधिकार और दायित्व

बुलियन निक्षेपागार और प्रतिभागी के बीच समझौता

44. (1) यदि प्राधिकरण चाहे तो बुलियन निक्षेपागार अपने एजेंट के रूप में एक या अधिक प्रतिभागियों के साथ समझौता कर सकती है।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन प्रत्येक समझौता बुलियन निक्षेपागार के उप-नियमों में यथा-निर्दिष्ट प्रारूप में होगा।

बुलियन निक्षेपागार की सेवाएँ

45. कोई भी व्यक्ति, सीधे या प्रतिभागी के माध्यम से, किसी बुलियन निक्षेपागार के साथ उसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए उप-नियमों द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में समझौता कर सकता है।

बुलियन निक्षेपागार रसीद के अंतरण का रजिस्ट्रीकरण

46. प्रत्येक बुलियन निक्षेपागार, सूचना प्राप्त होने पर, सीधे या भागीदार से,

अंतरिती के नाम पर बुलियन निक्षेपागार रसीद के अंतरण को रजिस्ट्रीकृत करेगा।

बुलियन निक्षेपागार और लाभकारी स्वामियों के अधिकार

47. (1) बुलियन निक्षेपागार को लाभकारी स्वामी की ओर से बुलियन निक्षेपागार रसीद के स्वामित्व के अंतरण को प्रभावी करने का अधिकार होगा।
- (2) उप-विनियमन (1) में अन्यथा प्रावधान के अलावा, बुलियन निक्षेपागार, बुलियन निक्षेपागार रसीद का रजिस्ट्रीकृत स्वामी है, उसके पास उसके द्वारा रखे गए बुलियन के संबंध में कोई अन्य अधिकार नहीं होगा।
- (3) लाभार्थी स्वामी को सभी अधिकार और लाभ प्राप्त होंगे तथा वह बुलियन निक्षेपागार द्वारा धारित बुलियन निक्षेपागार रसीद के संबंध में सभी देयताओं के अध्यक्षीन होगा।

लाभकारी स्वामी का रजिस्टर

48. प्रत्येक बुलियन निक्षेपागार को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से लाभकारी स्वामियों का रजिस्टर और सूची बनाए रखना होगा।

बुलियन निक्षेपागार में रखे गए बुलियन निक्षेपागार रसीद को गिरवी रखना या हाइपोथिकेट करना

49. (1) कोई लाभकारी स्वामी, बुलियन निक्षेपागार की पूर्व स्वीकृति से, ऐसे लाभकारी स्वामी के स्वामित्व वाली बुलियन निक्षेपागार रसीद के संबंध में गिरवी या हाइपोथिकेट कर सकता है।
- (2) प्रत्येक लाभकारी स्वामी बुलियन निक्षेपागार को ऐसी गिरवी या हाइपोथिकेशन की सूचना देगा और ऐसा बुलियन निक्षेपागार उसके अनुसार अपने अभिलेखों में प्रविष्टियां करेगा।
- (3) उप-विनियमन (2) के अंतर्गत बुलियन निक्षेपागार के अभिलेखों में कोई भी प्रविष्टि गिरवी या हाइपोथिकेशन के साक्ष्य के रूप में मानी जाएगी।

बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट मैनेजर द्वारा सूचना और अभिलेख प्रस्तुत करना

50. (1) प्रत्येक बुलियन निक्षेपागार, वॉल्ट मैनेजर को, लाभकारी स्वामियों के नाम पर बुलियन के अंतरण का विवरण, उप-नियमों में यथा-निर्दिष्ट अंतरालों पर और तरीके से प्रस्तुत करेगा।
- (2) प्रत्येक वॉल्ट मैनेजर बुलियन निक्षेपागार को, ऐसे निक्षेपागार द्वारा रखे गए बुलियन के संबंध में ऐसे प्रासंगिक अभिलेखों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (3) कोई भी बुलियन निक्षेपागार वॉल्ट मैनेजर को तब तक पैनल में नहीं रखेगी जब तक कि ऐसे वॉल्ट मैनेजर ने प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त नहीं कर लिया हो।

बुलियन निक्षेपागार द्वारा कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति किया जाना

51. (1) बुलियन निक्षेपागार या भागीदार के गलत कार्य, लापरवाही या चूक के कारण लाभार्थी स्वामी को हुई क्षति के संबंध में, वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बुलियन निक्षेपागार ऐसे लाभार्थी स्वामी की क्षतिपूर्ति करेगा।
- (2) जहां उप-विनियमन (1) के अधीन भागीदार की लापरवाही के कारण हुई क्षति की पूर्ति बुलियन निक्षेपागार द्वारा की जाएगी, बुलियन निक्षेपागार को ऐसे भागीदार से इसकी वसूली करने का अधिकार होगा।

अध्याय XII

वॉल्ट मैनेजर

वॉल्ट मैनेजर का रजिस्ट्रीकरण

52. (1) वॉल्ट मैनेजर रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से प्राधिकरण को आवेदन करेगा, साथ ही विनियमन के अधीन देयताओं को स्वीकार करने और सहमत होने का वचन भी देगा
- (2) प्राधिकरण वॉल्ट मैनेजर की निवल संपत्ति और बुलियन के भंडारण के लिए वॉल्ट के संचालन हेतु बुनियादी ढांचे सहित आवश्यकताओं को निर्दिष्ट कर सकता है।
- (3) प्राधिकरण स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रदान कर सकता है।
- (4) प्राधिकरण आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना रजिस्ट्रीकरण के किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा।

वॉल्ट मैनेजर की देयताएं

53. (1) वॉल्ट मैनेजर अपने द्वारा प्रबंधित वॉल्ट में संग्रहीत बुलियन को हुई किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।

बशर्ते कि यदि वॉल्ट मैनेजर द्वारा सभी उचित देखभाल और सावधानियों के बावजूद बुलियन क्षतिग्रस्त या खो जाता है, तो वॉल्ट मैनेजर द्वारा लाभार्थी स्वामी या जमाकर्ता को, जैसा भी मामला हो, जमा करते समय बुलियन के मूल्य के बराबर मुआवजा देय होगा।

बशर्ते कि यदि वॉल्ट मैनेजर की लापरवाही के कारण बुलियन क्षतिग्रस्त हो जाता है या खो जाता है, तो वॉल्ट मैनेजर द्वारा, ऐसी क्षति या हानि की तारीख पर लाभार्थी स्वामी या जमाकर्ता, जैसा भी मामला हो, को बुलियन के मूल्य के बराबर मुआवजा देय होगा।

बशर्ते कि वॉल्ट मैनेजर किसी भी अप्रत्याशित घटना के कारण बुलियन की किसी भी हानि, विनाश, क्षति या गिरावट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(2) वॉल्ट मैनेजर बुलियन निक्षेपागार या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकने वाले विभिन्न जोखिमों को कवर करने और कम करने के लिए पर्याप्त बीमा रखेगा।

वॉल्ट मैनेजर द्वारा वॉल्टिंग व्यवसाय के रिकॉर्ड और खाते का रखरखाव किया जाना

54. (1) प्रत्येक वॉल्ट मैनेजर वॉल्ट के संचालन से संबंधित सभी लेनदेन के रिकॉर्ड और खातों का एक पूर्ण और सटीक सेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुनर्प्राप्ति योग्य रूप में बनाए रखेगा, जिसमें वॉल्ट में प्राप्त और वहां से निकाले गए सभी बुलियन के रिकॉर्ड और खाते शामिल हैं; और बुलियन निक्षेपागार के माध्यम से इस संबंध में जारी सभी बुलियन निक्षेपागार रसीदें।

(2) उप-विनियम (1) के उपबंधों के अधीन, वॉल्ट मैनेजर वॉल्ट व्यवसाय के सभी रिकॉर्ड और खातों को संख्यात्मक अनुक्रम में, किसी अन्य व्यवसाय के रिकॉर्ड और खातों से अलग और प्राधिकरण या बुलियन निक्षेपागार, जिसके साथ ऐसे वॉल्ट या वॉल्ट सूचीबद्ध हैं, द्वारा यथानिर्दिष्ट रूप, तरीके और अवधि के लिए रखेगा।

(3) वॉल्ट मैनेजर, प्राधिकरण, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन निक्षेपागार द्वारा यथा-वांछित वॉल्ट व्यवसाय के रिकॉर्ड और खातों को किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराएगा।

अध्याय XIII

बुलियन निक्षेपागार रसीदें

55. इन विनियमों के अनुसार ही बुलियन निक्षेपागार रसीदें जारी की जाएंगी।

बुलियन को तिजोरियों में जमा करना

56. (1) जमाकर्ता बुलियन निक्षेपागार के पैनल में शामिल वॉल्ट के माध्यम से बुलियन जमा करने के लिए अनुरोध करेगा।

(2) वॉल्ट मैनेजर या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी व्यक्ति जमाकर्ता द्वारा बुलियन जमा करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन सुनिश्चित करेगा।

(3) वॉल्ट मैनेजर यह सुनिश्चित करेगा कि वॉल्ट में जमा किया जाने वाला बुलियन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अच्छे वितरण मानक को पूरा करता है।

(4) बुलियन जमा करते समय, यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा निदेश दिया वॉल्ट मैनेजर बुलियन के गुड वितरण मानक के परीक्षण के उद्देश्य से परीक्षक की सेवाएं लेगा।

बुलियन निक्षेपागार रसीद का सृजन

57. (1) प्रत्येक जमाकर्ता और लाभकारी स्वामी का बुलियन निक्षेपागार में खाता होगा।
- (2) जमाकर्ता से बुलियन प्राप्त होने पर और सभी अपेक्षित दस्तावेजों के निष्पादन के बाद, बुलियन निक्षेपागार प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से डीमैट रूप में ऐसे जमाकर्ता के नाम पर जारी बुलियन निक्षेपागार रसीद बनाएगी और उसका प्रबंधन करेगी।

बुलियन निक्षेपागार रसीदों का विवरण

58. (1) बुलियन निक्षेपागार रसीदें बुलियन के स्वामित्व का दस्तावेज होंगी जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:
- (क) बुलियन निक्षेपागार रसीद संख्या;
- (ख) वॉल्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या;
- (ग) वॉल्ट का नाम और उसका पूरा डाक पता;
- (घ) जमाकर्ता का नाम और पता;
- (ङ) बुलियन निक्षेपागार रसीद जारी करने की तारीख;
- (च) कथन कि प्राप्त बुलियन उसके लाभार्थी स्वामी को दिया जाएगा;
- (छ) बुलियन का विवरण, मात्रा और ग्रेड के विवरण सहित;
- (ज) बुलियन पर जमाकर्ता के निजी चिह्न, यदि कोई हो;
- (झ) वॉल्ट मैनेजर या उसके अधिकृत एजेंट के तारीख सहित हस्ताक्षर; और
- (ञ) बुलियन एक्सचेंज या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकने वाले अन्य विवरण।
- (2) यदि वॉल्ट मैनेजर उप-विनियमन (1) में निर्धारित किसी भी विवरण को जानबूझकर छोड़ देता है, तो ऐसा वॉल्ट मैनेजर ऐसी चूक के कारण होने वाली क्षति के लिए उत्तरदायी होगा।
- बशर्ते कि कोई भी बुलियन निक्षेपागार रसीद विवादों या दावों के निपटान के उद्देश्य से, केवल उप-विनियमन (1) में निर्धारित किसी भी विवरण की चूक के कारण अमान्य नहीं होगी।

बुलियन का आहरण

59. (1) किसी लाभार्थी स्वामी से बुलियन की वापसी के लिए सीधे या किसी भागीदार के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होने पर, बुलियन निक्षेपागार अनुमोदन प्रदान करेगी और संबंधित वॉल्ट मैनेजर को इसकी सूचना देगी।
- (2) उप-विनियमन (1) के अधीन अनुमोदन प्राप्त होने पर, वॉल्ट मैनेजर ऐसे

बुलियन निक्षेपागार रसीद द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बुलियन को लाभार्थी स्वामी को सौंप देगा, बशर्ते कि लाभार्थी स्वामी ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करे जैसा कि अपेक्षित हो और बुलियन की रसीद को लिखित रूप में स्वीकार करे।

(3) यदि कोई वॉल्ट मैनेजर इन विनियमों के उपबंधों के अनुपालन में बुलियन देने से इनकार करता है या विफल रहता है, तो ऐसे इनकार या विफलता के लिए पर्याप्त कारण के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए सबूत का भार वॉल्ट मैनेजर पर होगा।

(4) वॉल्ट से बुलियन की वापसी पर, वॉल्ट मैनेजर बुलियन निक्षेपागार को इसकी सूचना देगा।

शुल्क का भुगतान करने के बाद बुलियन की वितरण की जानी है

60. जब बुलियन निक्षेपागार रसीद जारी की जाती है, तो वॉल्ट मैनेजर बुलियन निक्षेपागार रसीद के लाभकारी मालिक को तब तक बुलियन की वितरण नहीं करेगा, जब तक कि वॉल्ट मैनेजर को देय शुल्क का भुगतान नहीं कर दिया जाता और बुलियन निक्षेपागार रसीद को रद्द करने के लिए सौंप दिया जाता।

अध्याय XIV

योग्यता और उचित आवश्यकताएँ

योग्यता और उचित मानदंड

61. (1) बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट मैनेजर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके शेयरधारक, निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कर्मी हर समय योग्य और उचित व्यक्ति हैं।

(2) उप-विनियमन (1) के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति योग्य और उचित व्यक्ति माना जाएगा यदि:

(क) ऐसे व्यक्ति की सामान्य प्रतिष्ठा और निष्पक्षता और ईमानदारी का रिकॉर्ड हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं-

- (i) वित्तीय ईमानदारी;
- (ii) अच्छी प्रतिष्ठा और चरित्र; और
- (iii) ईमानदारी;

(ख) ऐसे व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई भी अयोग्यता नहीं पाई है-

- (i) किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता या किसी आर्थिक अपराध या प्रतिभूति कानूनों के किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो;
- (ii) व्यक्ति के विरुद्ध समापन का आदेश पारित किया गया है;

- (iii) व्यक्ति, या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार को दिवालिया घोषित किया गया है और उसे मुक्त नहीं किया गया है;
- (iv) व्यक्ति को प्रतिभूतियों में लेन-देन करने या प्रतिभूति बाजार या बुलियन बाजार में प्रवेश करने से रोकने, निषिद्ध करने या विवर्जित करने वाला आदेश प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है और आदेश में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- (v) व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश जिसका बुलियन बाजार पर प्रभाव पड़ता है, प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है और आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- (vi) व्यक्ति के विरुद्ध वित्तीय क्षेत्र विनियामक प्राधिकरण द्वारा वसूली कार्यवाही शुरू की गई है जो लंबित है;
- (vii) सक्षम न्यायालय द्वारा उसे विकृत मानसिकता वाला पाया गया है;
- (viii) वित्तीय रूप से स्वस्थ नहीं है या उसे जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- (ix) उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है; या
- (x) कोई अन्य अयोग्यता, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

62. यदि बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार का कोई निदेशक या प्रमुख प्रबंधन कार्मिक या वॉल्ट मैनेजर विनियमन 61 में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं माना जाता है, तो बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार या वॉल्ट मैनेजर ऐसी अयोग्यता की तारीख से तीस दिनों के भीतर ऐसे व्यक्ति को प्रतिस्थापित करेगा, ऐसा न करने पर, प्राधिकरण बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार या वॉल्ट मैनेजर को उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
63. यदि बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार या वॉल्ट मैनेजर के निर्णय पर कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति योग्य और योग्य है या नहीं, तो प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय XV

मध्यस्थों और अन्य व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण

बुलियन मार्केट से जुड़े मध्यस्थों और व्यक्तियों का रजिस्ट्रीकरण

64. (1) कोई बुलियन ट्रेडिंग सदस्य, बुलियन क्लियरिंग सदस्य, प्रतिभागी, जमाकर्ता, वॉल्ट मैनेजर या ऐसा कोई अन्य मध्यस्थ जो बुलियन मार्केट से जुड़ा हो, जैसा कि प्राधिकरण निर्दिष्ट कर सकता है, बुलियन मार्केट से संबंधित किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेगा, सिवाय प्राधिकरण से प्राप्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अनुसार जिसमें प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं।
- (2) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट सभी मध्यस्थ विनियम 61 में निर्दिष्ट योग्यता और उचित मानदंडों का अनुपालन करेंगे। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति योग्य और उचित व्यक्ति है या नहीं, तो ऐसे प्रश्न पर प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा।
- (3) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट फीस के साथ ऐसे प्रारूप और तरीके से फाइल किया जाएगा।
- (4) आवेदन को संबंधित बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पात्रता आवश्यकताओं के संबंध में शर्तों को पूरा करने के अधीन संसाधित किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने की अनुसंधान के साथ प्राधिकरण को भेजा जाएगा।
- (5) प्राधिकरण, आदेश द्वारा, या तो स्वप्रेरणा से या संबंधित बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन निक्षेपागार की सिफारिश पर, जैसा भी मामला हो, किसी मध्यस्थ के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण पत्र को निलंबित या रद्द कर सकता है।

बशर्ते कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के स्वैच्छिक समर्पण के मामले को छोड़कर, इस उप-विनियमन के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

स्पष्टीकरण: रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का स्वैच्छिक समर्पण प्राधिकरण के अनुमोदन के बाद ही प्रभावी होगा।

अध्याय XVI

पूछताछ, निरीक्षण और प्रवर्तन

सूचना मांगने की शक्ति

65. प्राधिकरण समय-समय पर बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन निक्षेपागार या वॉल्ट मैनेजर या उनके शासी बोर्ड या उनके किसी शेयरधारक से कोई भी जानकारी, दस्तावेज या रिकॉर्ड मांग सकता है।

निरीक्षण की शक्ति

66. (1) प्राधिकरण किसी भी समय किसी भी बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन निक्षेपागार या वॉल्ट मैनेजर या बुलियन ट्रेडिंग सदस्य या बुलियन क्लियरिंग सदस्य या उनके सहयोगियों, उनके शेयरधारकों या सहयोगियों और ऐसे शेयरधारकों के एजेंटों का निरीक्षण, पूछताछ और ऑडिट कर सकता है।
- (2) जहां प्राधिकरण द्वारा उप-विनियम (1) के अंतर्गत निरीक्षण किया जाता है, वहां ऐसे बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन निक्षेपागार या वॉल्ट मैनेजर या शेयरधारक या सहयोगी तथा ऐसे बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन निक्षेपागार या वॉल्ट मैनेजर या शेयरधारक या सहयोगी का प्रत्येक मैनेजर, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, निदेशक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष या अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे निरीक्षण में सहयोग करेंगे।

निदेश जारी करने और कार्रवाई करने की शक्ति

67. अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियमन के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या किसी सूचना की रसीद पर या किसी निरीक्षण, जांच या अन्वेषण के लंबित रहने के दौरान या उसके पूरा होने पर, जनता या व्यापार या निवेशकों या उपभोक्ताओं या प्रतिभूति बाजार या किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में बुलियन बाजार के हित में बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन निक्षेपागार या वॉल्ट मैनेजर या उनके निदेशक, समिति के सदस्य, प्रमुख प्रबंधन कार्मिक, कर्मचारी या किसी अन्य संबद्ध व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाने सहित ऐसे निदेश जारी कर सकता है या कार्रवाई कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

प्राधिकरण द्वारा लेखा परीक्षक की नियुक्ति

68. (1) प्राधिकरण को बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या

बुलियन निक्षेपागार या वॉल्ट मैनेजर या बुलियन ट्रेडिंग सदस्य या बुलियन क्लियरिंग सदस्य की लेखा बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों, अवसंरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं या मामलों का निरीक्षण या जांच करने के लिए लेखा परीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(2) प्राधिकरण बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन या बुलियन निक्षेपागार या वॉल्ट मैनेजर या बुलियन ट्रेडिंग सदस्य या बुलियन क्लियरिंग सदस्य से उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट सेवाओं के लिए लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस सहित ऐसे व्यय वसूलने का हकदार होगा।

अध्याय XVII

प्रतिभूतियों की सूचीयन

सूचीयन

69. (1) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन निक्षेपागार, जैसा भी मामला हो, किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में अपनी प्रतिभूतियों की सूचीयन के लिए आवेदन कर सकता है यदि उसने आवेदन की तारीख से तुरंत पहले तीन वर्ष का निरंतर संचालन पूरा कर लिया है और प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।
- (2) प्राधिकरण ऐसी शर्तें, जो वह बुलियन या प्रतिभूति बाजार के हित में उचित समझे, विनिर्दिष्ट करेगा, जिनमें ऐसे बुलियन एक्सचेंज या बुलियन निक्षेपागार में किसी व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों के अंतरण के संबंध में शर्तें भी सम्मिलित हैं।

अध्याय XVIII

विविध

वेबसाइट का रखरखाव

70. प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट मैनेजर एक वेबसाइट या किसी अन्य सार्वभौमिक रूप से सुलभ इलेक्ट्रॉनिक सूचना भंडार का रखरखाव करेगा:
- (1) वह सभी सूचना प्रकाशित करेगा जिसे इन विनियमों के अधीन प्रकाशित करना अनिवार्य है।
- (2) उसके द्वारा जारी किए गए सभी नियमों, विनियमों, उप-नियमों और मार्गदर्शन को होस्ट करेगा, जिसमें उनमें सभी संशोधन शामिल हैं।
- (3) अपनी सदस्यता या एसोसिएशन के लिए आवेदन करने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जैसा भी मामला हो; और
- (4) अपने कार्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा।

वार्षिक निवल मूल्य प्रमाणपत्र

71. प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन और बुलियन निक्षेपागार वार्षिक आधार पर अपने सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के लिए जारी ऑडिटेड निवल मूल्य प्रमाणपत्र, प्रत्येक वर्ष के सितंबर के तीसरे दिन तक प्रस्तुत करेंगे।

लेखा बहियों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव

72. (1) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज नियम 14 के अधीन निर्धारित लेखा बहियों और दस्तावेजों और ऐसे अन्य अभिलेखों को, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा विनियम 24 में निर्दिष्ट अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुनर्प्राप्त करने योग्य रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, का अनुरक्षण करेगा।

(2) प्रत्येक बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन विनियम 24 में निर्दिष्ट अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुनर्प्राप्त करने योग्य रूप में निम्नलिखित लेखा बहियों और दस्तावेजों को बनाए रखेगा और संरक्षित करेगा, अर्थात्:-

(क) बैठकों की मिनट बुक:

(i) शासी बोर्ड;

(ii) शासी बोर्ड की कोई भी समिति;

(ख) निपटान प्रयोजनों के लिए बुलियन समाशोधन सदस्यों का पूरा नाम, पता तथा बैंक और निक्षेपागार खातों का विवरण दर्शाने वाला अभिलेख;

(ग) लेन-देन अभिलेख;

(घ) प्रतिभूति जमा का अभिलेख;

(ङ) मार्जिन जमा बही;

(च) ग्राहक मार्जिन संग्रह विवरण;

(छ) खाता बही;

(ज) जर्नल;

(झ) रोकड़ बही;

(ञ) बैंक खाता विवरण;

(ट) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य लेखा बही और दस्तावेज।

(3) अध्याय XV में निर्दिष्ट प्रत्येक बुलियन निक्षेपागार, वॉल्ट मैनेजर और अन्य मध्यस्थ ऐसे लेखा बही और अन्य दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुनःप्राप्त करने योग्य रूप में कम से कम आठ वर्ष की अवधि के लिए

अनुरक्षित रखेंगे और परिरक्षित रखेंगे।

रिटर्न और रिपोर्ट प्रस्तुत करना

73. (1) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार और वॉल्ट मैनेजर प्राधिकरण को ऐसे रिटर्न, विवरण और विवरण प्रस्तुत करेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (2) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन अपनी रिपोर्ट में नियमों के नियम 17 और नियम 17क में निर्धारित जानकारी शामिल करेगा।
- (3) पिछले वित्तीय वर्ष के संबंध में उप-विनियम (1) और (2) में निर्दिष्ट वार्षिक वित्तीय विवरण और रिकॉर्ड प्रत्येक वर्ष के तीस सितंबर तक प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाएंगे।

विनियामक शुल्क

74. (1) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार और मध्यस्थ प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट विनियामक शुल्क का भुगतान करेगा।
- (2) प्रत्येक बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, बुलियन निक्षेपागार और मध्यस्थ देय शुल्क के संबंध में ऐसी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे, जो इस विनियमन के अधीन आवश्यक हो।

उप-नियम और नियम

75. (1) एक बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 9 और इन विनियमों के अनुसार, बुलियन अनुबंधों के विनियमन और इसके समाशोधन और निपटान के लिए उप-नियम बनाएगा।
- (2) किसी भी एसोसिएशन के जापन, एसोसिएशन के लेखों या किसी अन्य संवैधानिक दस्तावेजों को, जहां तक वे प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 3 में निर्दिष्ट मामलों से संबंधित हैं या इन विनियमों के अधीन, और बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के उप-नियमों में प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना संशोधन नहीं किया जाएगा।
- (3) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के एसोसिएशन के जापन, एसोसिएशन के लेखों, नियमों, उप-नियमों आदि में किए जाने वाले प्रस्तावित किसी भी संशोधन को प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए निम्नलिखित के बाद प्रस्तुत किया जाएगा:

(क) ऐसे संशोधनों को पहले बुलियन एक्सचेंज, बुलियन क्लियरिंग

कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, उसके बाद शेयरधारकों की स्वीकृति (जहां भी लागू हो) ली जाएगी, फिर अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा और फिर भारत के राजपत्र (जहां भी लागू हो) और संबंधित राज्य में प्रकाशित किया जाएगा।

(ख) ऐसे संशोधन के साथ शासी बोर्ड के कार्यवृत्त, शेयरधारकों का समाधान और सार्वजनिक परामर्श संलग्न किया जाएगा। तथापि, यदि संशोधन प्राधिकरण द्वारा जारी विनियमों, परिपत्र आदि के अनुसरण में हैं, तो वे शेयरधारकों के अनुमोदन और सार्वजनिक आलोचना के अधीन नहीं होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

76. इन विनियमों के उपबंधों की व्याख्या या अनुप्रयोग में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन नोटों या परिपत्रों के माध्यम से निदेश जारी कर सकता है।

विनियमों के कठोर प्रवर्तन में ढील देने की शक्ति

77. (1) प्राधिकरण, स्वप्रेरणा से या इन विनियमों के अंतर्गत आने वाली किसी इकाई द्वारा किए गए आवेदन पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी भी समय, किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में वित्तीय सेवा बाजार के विकास और विनियमन के हित में, इन विनियमों की किसी भी आवश्यकता के सख्त प्रवर्तन में ढील दे सकता है।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट मांगने के लिए, विवरण देते हुए और जिन आधारों पर ऐसी छूट मांगी गई है, उन्हें देते हुए आवेदन प्राधिकरण के पास 1500 अमेरिकी डॉलर की गैर-वापसी योग्य फीस या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे शुल्क के साथ फ़ाइल किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण ऐसे आवेदन को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर सभी पहलुओं में पूर्ण रूप से संसाधित करेगा, जिसमें मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तर भी शामिल होंगे, तथा आवेदक द्वारा मांगी गई छूट को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करेगा:

बशर्ते कि अस्वीकृति के कारणों को आवेदक को सूचित किया जाएगा।

प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

78. प्राधिकरण इन विनियमों और इसके आनुषंगिक मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, परिपत्रों के माध्यम से इन विनियमों में निर्दिष्ट मानदंडों, प्रक्रियाओं, तौर-तरीकों या दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट कर सकता है।

निरसन और व्यावृत्तियाँ

79. (1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 निरस्त हो जाएंगे।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, प्राधिकरण द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्र समाप्त हो जाएंगे:

क. परिपत्र संख्या एफ. सं. 286/आईएफएससीए/सीएमडी-डीएमआईआईटी/पीएम/2021 दिनांक 13 सितंबर, 2021 - जीआईएफटी-आईएफएससी में मान्यता प्राप्त बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (केएमपी) के लिए आचार संहिता और आचारण संहिता,

ख. परिपत्र संख्या 286/आईएफएससीए/सीएमडी-डीएमआईआईटी/पीएम/2021/001 दिनांक 30 नवंबर, 2021 - जीआईएफटी-आईएफएससी में सभी मान्यता प्राप्त एमआईआई के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों द्वारा प्रतिभूतियों में लेनदेन के प्रकटीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण, और

ग. परिपत्र संख्या एफ. सं. 329/आईएफएससीए/बुलियन एमआईआई/2022-23 दिनांक 01 मार्च, 2023 - बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए निवल मूल्य आवश्यकताएं।

(3) ऐसे निरसन और अधिक्रमण के होते हुए भी, -

(क) निरसित विनियमों के अधीन ऐसे निरसन से पूर्व किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई या किए जाने का अभिप्राय, जिसमें रजिस्ट्रीकरण, मान्यता या अनुमोदन प्रदान किया जाना, निलम्बित या निरस्त किया जाना, एकत्रित शुल्क, प्रारंभ किया गया कोई न्यायनिर्णयन, जांच या अन्वेषण या जारी किया गया कारण बताओ नोटिस शामिल है, इन विनियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया या लिया गया या प्रारंभ किया गया समझा जाएगा।

(ख) निरसित विनियमों के अधीन प्राधिकरण को ऐसे निरसन से पूर्व किया गया कोई आवेदन और उसके समक्ष लंबित कोई आवेदन इन विनियमों के संगत उपबंधों के अधीन किया गया समझा जाएगा।

(ग) निरस्त विनियमों का पिछला संचालन या उसके अधीन विधिवत् किया गया या भुगता गया कोई कार्य, निरस्त विनियमों के अधीन अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता, निरस्त विनियमों के विरुद्ध किए गए किसी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई शास्ति, या पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, शास्ति के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपाय, अप्रभावित रहेंगे, मानो निरस्त विनियम कभी निरस्त ही नहीं किए गए हों।

(4) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 के निरस्त होने के पश्चात, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी अन्य विनियम, उसके अधीन जारी दिशा-निदेश या परिपत्र, या भारत सरकार या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के किसी अधिनियम में इसका कोई संदर्भ इन विनियमों के संगत उपबंधों का संदर्भ माना जाएगा।

(5) उप-विनियम (2) में अन्यथा निहित को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 के अधीन प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र या दिशानिदेश, इन विनियमों के अधीन जारी किए गए माने जाएंगे, जब तक कि उन्हें प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाता है।

अनुसूची-1

भाग-क

[विनियमन 9 देखें]

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए आचार संहिता

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को:

(क) अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 या इन अधिनियमों के अधीन जारी किसी भी नियम, अधिसूचना, विनियमन, परिपत्र, दिशानिदेश या निदेशों के उपबंधों का हमेशा पालन करना चाहिए।

(ख) उचित परिश्रम उपाय अपनाना चाहिए।

(ग) जोखिम प्रबंधन ढांचे और सुशासन प्रथाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करना चाहिए।

(घ) ग्राहक सुरक्षा और ग्राहकों की शिक्षा के लिए उचित उपाय करना चाहिए।

(ङ) अपने सभी आवेदकों और सदस्यों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करना चाहिए।

(च) अपने किसी भी सदस्य या ग्राहक द्वारा अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 या इन अधिनियमों के अधीन जारी किसी भी नियम, अधिसूचना, विनियमन, परिपत्र, दिशानिदेश या निदेशों के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित करना चाहिए।

(छ) ग्राहकों के हितों की सुरक्षा, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की प्रणालियों, बुलियन बाजार और प्रतिभूति बाजार की अखंडता के प्रति सक्रिय और उत्तरदायी रवैया अपनाना।

बुलियन निक्षेपागार के लिए आचार संहिता

बुलियन निक्षेपागार को:

(क) हमेशा अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, या इन अधिनियमों के अधीन जारी किए गए किसी भी नियम, अधिसूचना, विनियमन, परिपत्र, दिशानिदेश या निदेशों के उपबंधों का पालन करना चाहिए।

(ख) उचित परिश्रम के उपाय अपनाना चाहिए।

(ग) उचित जोखिम प्रबंधन ढांचे और सुशासन प्रथाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करना चाहिए।

(घ) निवेशकों की सुरक्षा और निवेशकों की शिक्षा के लिए उचित उपाय करना चाहिए।

(ड) अपने सभी आवेदकों और सदस्यों के साथ निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करना चाहिए।

(च) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, या इन अधिनियमों के अधीन जारी किसी भी नियम, अधिसूचना, विनियमन, परिपत्र, दिशा-निदेश या निदेशों के उपबंधों के किसी भी उल्लंघन के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगा, जो इसके किसी भी वॉल्ट मैनेजर, प्रतिभागियों या ग्राहकों द्वारा किया गया हो। (छ) निवेशकों के हितों की सुरक्षा, निक्षेपागार की प्रणालियों और प्रतिभूति बाजार की अखंडता के प्रति सक्रिय और उत्तरदायी रवैया अपनाएगा।

भाग-ख

[विनियमन 28 देखें]

शासी बोर्ड, निदेशकों, समिति सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता

I. शासी बोर्ड

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का शासी बोर्ड-

(क) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लाभप्रदता मार्जिन का मूल्यांकन करेगा, जैसा भी मामला हो।

(ख) विनियामक अनुपालन के लिए संसाधन आवंटन (वित्तीय और मानवीय दोनों) की पर्याप्तता सुनिश्चित करेगा।

(ग) रणनीति, नीति स्तर के मुद्दों और महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करेगा और केवल असाधारण मामलों में दिन-प्रतिदिन के परिचालन मामलों की समीक्षा करेगा।

(घ) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के विनियामक, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और निवेशक शिकायत निवारण कार्यों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी सहित महत्वपूर्ण संचालन की देखरेख करेगा।

(ड) प्रबंध निदेशक और अन्य प्रमुख पदों के लिए उत्तराधिकार योजना में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

(च) जोखिम प्रबंधन ढांचे को परिभाषित करने, स्थापित करने और उसका दस्तावेजीकरण करने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिसमें बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की जोखिम उठाने की क्षमता या जोखिम सहनशीलता नीति शामिल हो और यह सुनिश्चित करें कि नीति में निम्नलिखित शामिल हों: -

- (i) प्रमुख प्रक्रियाओं में जोखिम उठाने की क्षमता की भूमिका,
- (ii) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की जोखिम उठाने की क्षमता के प्रदर्शन की निगरानी के लिए स्पष्ट मात्रात्मक

मीट्रिक और सीमा,

(iii) उल्लंघनों की स्वीकार्यता और ट्रिगर प्रतिक्रिया(ओं), यदि कोई हो, और

(iv) साइबर सुरक्षा, सिस्टम स्थिरता, निगरानी, निष्पक्ष पहुंच, धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार, अनुपालन आदि जैसे क्षेत्रों के लिए शून्य सहनशीलता।

(छ) प्रमुख हितधारकों (कार्यकारी और गैर-कार्यकारी) को संगठन में जोखिम उठाने की क्षमता के उपयोग और मूल्य (उल्लंघनों के निहितार्थ सहित) के बारे में जागरूक करें और समय-समय पर जोखिम उठाने की क्षमता मीट्रिक और सीमा की समीक्षा और अनुमोदन करें।

(ज) विनियामक और नियंत्रण कार्य (जोखिम प्रबंधन, अनुपालन और लेखा परीक्षा कार्य) जैसे प्रमुख कार्य की पर्याप्त स्वतंत्रता सुनिश्चित करें ताकि;

(i) विनियामक और नियंत्रण कार्य में अपने कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए पर्याप्त स्थिति है,

(ii) विनियामक और नियंत्रण कार्य स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं और बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन तक उचित सीधी पहुँच रखते हैं, और

(iii) नियंत्रण कार्य सभी प्रासंगिक निर्णयों और गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं।

(झ) रक्षा की तीन पंक्तियों के निर्माण के लिए प्रावधान करें जहाँ:

(i) रक्षा की पहली पंक्ति में व्यावसायिक इकाइयाँ और सहायक कार्य शामिल हैं क्योंकि इसमें दिन-प्रतिदिन की परिचालन गतिविधियों से जुड़े जोखिमों को संभालने और प्रबंधित करने की ज़िम्मेदारी है,

रक्षा की दूसरी पंक्ति में विभिन्न निरीक्षण कार्य शामिल हैं, जैसे कि विनियामक, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन दल, और

(ii) रक्षा की तीसरी पंक्ति में आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य शामिल हैं।

(ञ) सुनिश्चित करें कि रक्षा की तीन पंक्तियों के संबंध में प्रबंधन की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट और समझी गई हैं और सभी कर्मचारी विनियामक, जोखिम प्रबंधन और अनुपालन परिणामों के लिए उत्तरदायी हैं।

(ट) प्रभावी संचार और चुनौती की संस्कृति सुनिश्चित करें (यानी, व्यक्तियों और समूहों से वैकल्पिक विचारों या प्रश्नों को प्रोत्साहित करें) और इसे महत्व दें और इसका सम्मान करें।

(ठ) यह सुनिश्चित करना कि किसी भी नए उत्पाद, सेवा, राजस्व धारा को स्वीकृति देने से पहले अनुपालन और जोखिम प्रबंधन के दृष्टिकोण से

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के संबंधित विभाग द्वारा सामान्य व्यवहार्यता मुद्दों के अलावा जांच की जाती है।

(ड) सभी विद्यमान उत्पादों, सेवाओं और राजस्व धाराओं की समय-समय पर समीक्षा करना।

(ढ) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक और किसी अन्य कार्यकारी निदेशक, मुख्य नियामक अधिकारी या अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी, सांविधिक लेखा परीक्षक और सार्वजनिक हित निदेशकों और गैर-स्वतंत्र निदेशकों द्वारा निर्धारित किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति के बिना, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय-समय पर बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेगा।

(ण) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैठकों की संख्या तर्कसंगत है, और सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है, शासी बोर्ड और सांविधिक समितियों की बैठकों और एजेंडा मदों की आवृत्ति की समय-समय पर समीक्षा करें।

(त) सुनिश्चित करें कि एजेंडा पत्रों को शासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

(थ) सुनिश्चित करें कि शासी बोर्ड के सदस्य अपनी बैठक के दौरान एजेंडा आइटम रख सकते हैं।

(द) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के निदेशकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ध) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन में एक मजबूत संस्कृति को बनाए रखें और व्यवहार, कार्यों और प्रभावी संचार के माध्यम से शीर्ष से लक्ष्य संस्कृति को बढ़ावा दें।

(न) संस्था के लक्ष्य नियामक, अनुपालन, जोखिम और आचरण संस्कृति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को संप्रेषित करें।

(प) प्रयास करें कि बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन संस्कृति से संबंधित प्रमुख तत्वों को लागू करें जैसे:

- (i) कर्मचारियों को व्यवहार की अपेक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम (उदाहरण के
- (ii) नियमित अंतराल पर संस्कृति से संबंधित संकेतकों को मापने और ट्रैक करने के लिए तंत्र;
- (iii) जवाबदेही तंत्र; और
- (iv) प्रदर्शन प्रबंधन तंत्र जो संस्कृति, आचरण और व्यवहार से संबंधित आयामों के पालन को ध्यान में रखते हैं।

II. निदेशकों, समिति के सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता
क. बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के निदेशकों, समिति के सदस्यों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों पर लागू:

1. सामान्य जिम्मेदारी

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के प्रत्येक निदेशक, समिति के सदस्य और प्रमुख प्रबंधन कर्मी -

(क) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के मुद्दों का व्यावसायिक क्षमता, निष्पक्षता, निष्पक्षता, दक्षता और प्रभावशीलता के साथ विश्लेषण और प्रशासन करेंगे;

(ख) जब तक कानून द्वारा अन्यथा आवश्यक न हो, गोपनीयता बनाए रखें और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में प्राप्त किसी भी जानकारी को प्रकट या प्रकट न करें और सुनिश्चित करें कि ऐसी कोई जानकारी व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग न की जाए;

(ग) जनता का विश्वास जगाने के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी और दृढ़ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखें तथा अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में अपमानजनक कार्य न करें।

(घ) अपने कर्तव्यों का स्वतंत्र और वस्तुनिष्ठ तरीके से पालन करें तथा ऐसी गतिविधियों से बचें जो उनकी स्वतंत्रता या वस्तुनिष्ठता या आधिकारिक कर्तव्यों को नुकसान पहुंचा सकती हैं या नुकसान पहुंचाती प्रतीत होती हैं।

(ङ) अपने कर्तव्यों का निर्वहन सकारात्मक दृष्टिकोण से करें तथा रचनात्मक रूप से स्वतन्त्र संवाद, रचनात्मकता, समर्पण और करुणा का प्रदर्शन करें।

(च) नैतिक अधमता, बेईमानी, धोखाधड़ी, छल या गलत बयानी या बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के प्रशासन के लिए हानिकारक किसी भी अन्य कार्य में शामिल न हों।

(छ) नैतिक उत्तरदायित्वों के बारे में अधिक जागरूकता और समझ को बढ़ावा दें।

(ज) अपने व्यवसाय के संचालन में, वाणिज्यिक सम्मान के उच्च मानकों और व्यापार के न्यायसंगत और समतापूर्ण सिद्धांतों का पालन करें।

(झ) अपने व्यावसायिक जीवन में अपने आचरण में अनुकरणीय बनें जो दूसरों के लिए मानक स्थापित कर सकें;

(ञ) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कार्यकारी या प्रशासनिक कर्मचारियों, प्रौद्योगिकी या सेवा प्रदाताओं और बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं से अनुग्रह देने या प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग नहीं करेंगे।

(ट) ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाए।

(ठ) बुलियन बाजार और प्रतिभूति बाजार से संबंधित लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।

(ड) निदेशक और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक हर समय बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की सभी आंतरिक नीतियों का अनुपालन करेंगे, जिसमें उनकी आचार संहिता भी शामिल है। यदि बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन की आचार संहिता नीति और प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई आचार संहिता नीति के बीच कोई टकराव होता है, तो प्राधिकरण द्वारा जारी नीति ही मान्य होगी।

2. विनियामक अनुपालन

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के प्रत्येक निदेशक, समिति सदस्य और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक -

(क) यह सुनिश्चित करेंगे कि बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन अधिनियम, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, या इन अधिनियमों के अधीन जारी किए गए किसी भी नियम, अधिसूचना, विनियमन, परिपत्र, दिशानिदेश या निदेशों के सभी लागू उपबंधों का पालन करें।

(ख) सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि विनियामक प्रणाली का कोई उल्लंघन न हो।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय सीमा का अनुपालन करने के लिए कदम उठाए।

3. लाभकारी हित का प्रकटीकरण

प्रत्येक निदेशक, समिति सदस्य और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक पदभार ग्रहण करने पर और पद पर अपने कार्यकाल के दौरान, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड को निम्नलिखित स्थिति उत्पन्न होने पर प्रकट करेगा: -

(क) किसी भी व्यापारिक सदस्य या समाशोधन सदस्य में स्वयं और परिवार के सदस्यों और निदेशक या भागीदारी के बीच कोई प्रत्ययी संबंध

(ख) शेयरधारिता, ऐसे मामलों में जहां निदेशक या प्रमुख प्रबंधन कार्मिक की शेयरधारिता, सीधे या उसके परिवार के माध्यम से, किसी सूचीबद्ध कंपनी या बुलियन बाजारों या प्रतिभूति बाजारों से संबंधित अन्य एंटिटियों में 5 प्रतिशत से अधिक है।

(ग) कोई अन्य व्यावसायिक हित।

4. सूचना तक पहुंच

(क) ऐसे निर्दिष्ट चैनल होंगे जिनके माध्यम से सूचना को प्रसारित किया जाएगा और आगे उनका ऑडिट किया जाएगा। गोपनीय दस्तावेजों या सूचना की किसी भी पुनर्प्राप्ति को उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाएगा।

(ख) ऐसी सभी जानकारी, विशेष रूप से जो गैर-सार्वजनिक और मूल्य संवेदनशील है, गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी व्यक्तिगत विचार या लाभ के लिए उपयोग नहीं की जाएगी।

(ग) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के व्यवसाय या संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी, जो निदेशकों या समिति के सदस्यों या प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान जानकारी में आ सकती है, उसे पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा, किसी तीसरे पक्ष को नहीं बताया जाएगा और उनके कर्तव्यों के निष्पादन के अलावा किसी भी तरीके से इसका उपयोग नहीं किया जाएगा।

(घ) निदेशक केवल विशिष्ट समितियों के हिस्से के रूप में या बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड द्वारा अधिकृत रूप में जानकारी मांगेंगे।

5. पद का दुरुपयोग

निदेशक या समिति के सदस्य या प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अपने पद का उपयोग संगठन में स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए व्यवसाय या कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं करेंगे।

ख. निदेशकों और समिति के सदस्यों पर लागू

1. बैठकें और कार्यवृत्त

बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के निदेशक और समिति के सदस्य-

(क) किसी भी विषय पर चर्चा में भाग नहीं लेंगे जिसमें कोई भी हित विवाद विद्यमान हो या उत्पन्न हो, चाहे वह आर्थिक हो या अन्यथा और ऐसे मामलों में इसे बैठक के कार्यवृत्त में प्रकट और दर्ज किया जाएगा;

(ख) बैठक के दौरान एजेंडा पत्रों के प्रसार को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, जब तक कि परिस्थितियों की आवश्यकता न हो;

(ग) यह सुनिश्चित करें कि सभी बिंदुओं को व्यापक रूप से दर्ज करने के लिए कार्यवृत्त रिकॉर्ड किए जाएं;

(घ) मसौदा कार्यवृत्त पर अपनी टिप्पणी दें और सुनिश्चित करें कि उन्हें अंतिम कार्यवृत्त में शामिल किया जाए;

(ड) पिछली बैठक के कार्यवृत्त को आगामी बैठक में अनुमोदन के लिए रखे जाने पर जोर दें;

(च) प्रत्येक शासी बोर्ड बैठक और समिति बैठक में शासी बोर्ड और समितियों के अन्य संबंधित सदस्यों के परामर्श से अगली बैठक की तारीख निश्चित करने का प्रयास करना;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड और समितियों के समक्ष रखे गए सभी महत्वपूर्ण कार्यसूची पर समयबद्ध तरीके से विचार-विमर्श किया जाए;

(ज) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड और समितियों की बैठक में ऐसे किसी निर्णय का समर्थन नहीं करना जो ग्राहकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता हो और ऐसे किसी भी निर्णय की सूचना प्राधिकरण को तुरंत देनी होगी।

2. बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में निदेशकों और समिति के सदस्यों की भूमिका

(क) निदेशक और समिति के सदस्य बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अपनी भूमिका नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने और बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड द्वारा तय किए गए मुद्दों तक ही सीमित रखेंगे।

(ख) निदेशक और समिति के सदस्य बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को उनके दिन-प्रतिदिन के कामकाज में प्रभावित करने से परहेज करेंगे।

(ग) निदेशक और समिति के सदस्य सीधे तौर पर बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कामकाज में शामिल नहीं होंगे।

3. हितों के टकराव से बचना

(क) बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का कोई भी निदेशक या समिति सदस्य किसी भी व्यक्ति या मामले के संबंध में कोई निर्णय लेने या न्यायनिर्णयन में भाग नहीं लेगा, जिसमें वह किसी भी तरह से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, संबंधित या हितबद्ध हो।

(ख) किसी मामले में हितों का टकराव, यदि कोई हो, बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा।

4. कार्यनीतिक योजना

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन का प्रत्येक निदेशक और समिति सदस्य -

(क) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के सर्वोत्तम हित में कार्यनीतियों के निर्माण और निष्पादन में भाग लेगा और शासी बोर्ड स्तर पर सक्रिय निर्णय लेने में योगदान देगा;

(ख) बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ देगा और रणनीतिक योजना और निर्णयों के निष्पादन में सहायता प्रदान करेगा;

(ग) ग्राहकों की शिकायतों के निवारण तथा निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं को प्रोत्साहित करने को प्राथमिकता देना ताकि बुलियन एक्सचेंज तथा बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन बुलियन बाजार के विकास का इंजन बन सके।

ग. जनहित निदेशकों पर लागू

(क) बुलियन एक्सचेंज तथा बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के जनहित निदेशक सभी शासी बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे तथा यदि वे शासी बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहते हैं या कैलेंडर वर्ष में शासी बोर्ड की कुल बैठकों में से पचहत्तर प्रतिशत में उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें पद त्याग करना होगा।

(ख) जनहित निदेशक बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए कम से कम छह महीने में एक बार अलग से मिलेंगे। सभी जनहित निदेशक अनिवार्य रूप से ऐसी बैठकों में उपस्थित होंगे।

(ग) जनहित निदेशक महत्वपूर्ण मुद्दों को चिह्नित करेंगे, जिनमें बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए हितों का टकराव शामिल हो सकता है या बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है या बुलियन बाजार के हित में नहीं हो सकता है। प्राधिकरण को इसकी सूचना समयबद्ध तरीके से दी जाएगी।

(घ) जनहित निदेशकों को प्राधिकरण के निरीक्षण की टिप्पणियों पर नियमित निगरानी रखनी चाहिए, विशेष रूप से शासन मानकों, प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा और सिस्टम ऑडिट और साइबर सुरक्षा ऑडिट टिप्पणियों के मुद्दों पर।

(ङ) जनहित निदेशकों को बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के कामकाज से संबंधित किसी भी मुद्दे की पहचान करने में सक्रिय होना चाहिए और प्राधिकरण को इसकी सूचना देनी चाहिए। जनहित निदेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राधिकरण से सभी नियामक संचार/पत्र प्रबंध निदेशक की टिप्पणियों/रिपोर्ट के साथ शासी बोर्ड के समक्ष रखे जाएं।

(च) जनहित निदेशक जनहित निदेशकों के लिए मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रबंध निदेशक के प्रदर्शन का सतत आधार पर आकलन करने के लिए मूल्यांकन तंत्र स्थापित करेंगे।

(छ) जनहित निदेशक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रबंध निदेशक की नियुक्तियाँ निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर की जाएँ। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की पहचान की बारीकी से जाँच की जानी चाहिए और अपवादों को प्राधिकरण के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

(ज) जनहित निदेशकों को विभिन्न समितियों के विचार-विमर्श में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और उनके कामकाज को आगे बढ़ाना चाहिए।

(झ) विनियामक अनुपालन के लिए संसाधन आवंटन (वित्तीय और मानव दोनों) की पर्याप्तता सुनिश्चित करना।

(ञ) विभिन्न समितियों (सांविधिक समितियों सहित) के सदस्य के रूप में जनहित निदेशक अपनी समितियों के कामकाज पर अन्य जनहित निदेशकों को एक रिपोर्ट प्रदान करेंगे।

(ञ) जनहित निदेशक ऐसी बैठकों के परिणामों पर प्राधिकरण को तथा बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड को, जैसा भी मामला हो, ऐसी बैठक के तीस दिनों के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

घ. स्वतंत्र बाहरी व्यावसायिकों पर लागू

क) स्वतंत्र बाहरी व्यावसायिक किसी भी अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वैधानिक समिति के सदस्य के रूप में प्राप्त किसी भी संवेदनशील जानकारी का उपयोग या कार्रवाई नहीं करेंगे।

भाग-ग

[विनियमन 2(1)(टी)(iii) और 29(2) देखें]

बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए मुख्य कार्य

1. बुलियन एक्सचेंज के लिए, मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन तक सीमित नहीं होंगे:

क. वर्टिकल 1: महत्वपूर्ण संचालन

- i. ट्रेडिंग सुविधाओं का प्रावधान और संचालन;
- ii. व्यापार से संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड रखना और उसका खुलासा करना;
- iii. मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आईटी अवसंरचना;
- iv. व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा बचाव संचालन;
- v. साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन फ्रेमवर्क।

ख. वर्टिकल 2: विनियामक, विधिक, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक शिकायत

- i. जोखिम प्रबंधन;

- ii. निगरानी और जांच;
- iii. सदस्य रजिस्ट्रीकरण;
- iv. अनुपालन;
- v. निरीक्षण;
- vi. प्रवर्तन;
- vii. मध्यस्थता और शिकायत निवारण तंत्र;
- viii. सदस्य चूक;
- ix. विधिक;
- x. सूचीयन;
- xi. वित्तीय उत्पाद के जारीकर्ता का प्रवेश;
- xii. ग्राहक सुरक्षा और सेवाएँ।

ग. वर्टिकल 3: व्यवसाय विकास सहित अन्य कार्य

- i. बिक्री;
- ii. विपणन;
- iii. उत्पाद विकास;
- iv. वित्त।

2. बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के लिए, मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन इन तक सीमित नहीं होंगे:

क. वर्टिकल 1: महत्वपूर्ण संचालन

- i. समाशोधन और निपटान के लिए प्रावधान;
- ii. ट्रेडों के समाशोधन और निपटान से संबंधित जानकारी का रिकॉर्ड रखना;
- iii. मुख्य और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आईटी अवसंरचना;
- iv. व्यवसाय निरंतरता योजना और आपदा वसूली संचालन;
- v. साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन फ्रेमवर्क।

ख. वर्टिकल 2: विनियामक, विधिक, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और ग्राहक शिकायत

- i. जोखिम प्रबंधन;
- ii. सदस्य रजिस्ट्रीकरण;
- iii. अनुपालन;

- iv. निरीक्षण;
- v. प्रवर्तन;
- vi. सदस्य डिफॉल्ट;
- vii. विधिक;
- viii. ग्राहक सुरक्षा और सेवाएँ।

ग. वर्टिकल 3: व्यवसाय विकास सहित अन्य कार्य

- i. बिक्री;
- ii. विपणन;
- iii. उत्पाद विकास;
- iv. वित्त

भाग-घ

[विनियमन 26 और 27 देखें]

क. नियुक्ति की प्रक्रिया

1. अनुमोदन प्राप्त करते समय सभी निदेशक बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे: -

क) नाम

ख) पता

ग) शैक्षिक योग्यता

घ) रोजगार/व्यवसाय, भूतपूर्व और वर्तमान का विवरण

ङ) अन्य निदेशक पदों का विवरण

च) डीआईएन

छ) इन विनियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के बारे में घोषणा।

ज) व्यापारिक सदस्यों या समाशोधन सदस्यों के साथ गैर-संबद्धता के संबंध में अनुपालन की पुष्टि करने वाली घोषणा।

झ) किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा उनके विरुद्ध की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण।

ञ) गतिविधियों का विवरण जो निदेशक की राय में, उसे अयोग्य ठहरा सकता है।

- ट) व्यापारिक सदस्यों/समाशोधन सदस्यों के साथ जुड़ाव।
- ठ) बुलियन मार्केट या प्रतिभूति बाजार से जुड़े या किसी प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण को धारण करने वाले उसके आश्रितों के नामों का खुलासा।
- ड) इन विनियमों की अनुसूची-1 के भाग ख में निर्दिष्ट आचार संहिता द्वारा पालन किया जाने वाला वचन।
- ढ) सार्वजनिक हित निदेशकों के मामले में, सार्वजनिक हित निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए सहमति पत्र।
- ण) भारत या विदेश में किसी भी प्राधिकरण के समक्ष आपराधिक मामले, यदि कोई हो।

2. बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन उपर्युक्त विवरण प्राधिकरण को भेजेंगे, जबकि उनके नामों की सिफारिश करते समय शासी बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त, जहां उनके नाम को स्वीकृति दी गई थी, शेयरधारकों के प्रस्ताव की प्रति (जहां भी लागू हो) और बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा पुष्टि की जाएगी कि वे उपयुक्त और उचित मानदंडों के संदर्भ में उपयुक्त व्यक्ति हैं, किसी भी ट्रेडिंग सदस्य या क्लियरिंग सदस्य से जुड़े नहीं हैं और इन विनियमों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुपालन में हैं।

ख. प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक:-

1. बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, जैसा भी मामला हो, की नामांकन और पारिश्रमिक समिति, सीईओ/प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशक के चयन के लिए उत्तरदायी होगी। प्रबंध निदेशकों का चयन बुलियन मार्केट/सिक्क्योरिटी मार्केट/वित्त/प्रबंधन के क्षेत्र में योग्य और पर्याप्त अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से कम से कम एक राष्ट्रीय दैनिक के सभी संस्करणों में खुले विज्ञापन के माध्यम से किया जाएगा। बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन विद्यमान प्रबंध निदेशक के अंतिम कार्य दिवस से दो महीने पहले प्राधिकरण को नए नाम भेजेगा।
2. यदि अप्रत्याशित कारणों से प्रबंध निदेशक की कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन त्यागपत्र प्रस्तुत करने या कार्यालय से ऐसे खाली होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर प्राधिकरण को नए नाम भेजेगा।

ग. जनहित निदेशक:-

1. जनहित निदेशकों के नाम बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात प्राधिकरण को भेजे जाएंगे। शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी। जनहित निदेशकों की प्रत्येक रिक्ति के लिए, ऐसी रिक्ति से दो महीने पहले प्राधिकरण को कम से कम दो नाम प्रस्तुत किए जाएंगे।

2. बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन यह सुनिश्चित करेगा कि जनहित निदेशकों का चयन विभिन्न कार्य क्षेत्रों से किया जाए। किसी विशेष व्यक्ति को जनहित निदेशक के रूप में प्रस्तावित करने का निर्णय लेते समय, बुलियन एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन निम्नलिखित कारकों को भी ध्यान में रखेगा:

(क) विनियमन 25 के उप-विनियम (14) में निर्दिष्ट योग्यताएं।

(ख) वित्त/लेखा में अनुभव और पृष्ठभूमि रखने वाले कम से कम एक व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, जिन्हें अधिमानतः लेखा परीक्षा समिति में शामिल किया जा सकता है।

(ग) ऐसे व्यक्ति जो वर्तमान में प्रतिष्ठित संगठनों में विश्वास और जिम्मेदारी के पदों पर हैं या ऐसे पदों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

(घ) ऐसे व्यक्ति जो वाणिज्यिक अनुबंधों और बुलियन एक्सचेंज के वित्तीय मामलों में रुचि रखने वाले पदों पर हैं, उन्हें अधिमानतः बाहर रखा जा सकता है।

3. जनहित निदेशक संबंधित कानूनों, आचार संहिता आदि का अध्ययन करेंगे और बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि वे अपनी भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों और दायित्वों से अवगत हैं।

4. जनहित निदेशक की पुनर्नियुक्ति के मामले में, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन कार्यकाल की समाप्ति से चार महीने पहले प्राधिकरण को आवेदन करेगा। यहां निर्दिष्ट अन्य अपेक्षाओं के अतिरिक्त, जनहित निदेशक की पुनर्नियुक्ति के लिए आवेदन के साथ विभिन्न अनिवार्य समितियों की बैठकों और बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड में उनकी उपस्थिति का विवरण, प्रदर्शन की समीक्षा और कार्यकाल के विस्तार के कारण भी संलग्न होने चाहिए।

5. विद्यमान जनहित निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के मामले में, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के लिए प्राधिकरण को दो नाम भेजने की आवश्यकता नहीं है।

6. विद्यमान जनहित निदेशक अपने कार्यकाल की समाप्ति की तारीख से अधिकतम तीन महीने की अवधि के लिए या नए जनहित निदेशक की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रह सकते हैं, केवल तभी जब शासी बोर्ड अनिवार्य नियामक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

घ. गैर-स्वतंत्र निदेशक

1. गैर-स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों को पहले बुलियन एक्सचेंज/बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, उसके बाद प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले शेयरधारकों की स्वीकृति ली जाएगी।

2. गैर-स्वतंत्र निदेशकों के चुनाव, नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, अवकाश आदि का तरीका कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन शेयरधारक निदेशकों पर लागू उपबंधों द्वारा शासित होगा, सिवाय इसके कि इन विनियमों के अधीन या अधिनियम और उसके अधीन जारी परिपत्रों के अनुसार अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो।

ङ. निदेशकों की नियुक्ति पर सामान्य शर्तें

1. बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन प्राधिकरण द्वारा निदेशकों के लिए नामांकन/अनुमोदन से 30 दिनों के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा और नियुक्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

2. यदि प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त बुलियन एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉरपोरेशन का कोई अन्य अधिकारी शासी बोर्ड में नियुक्त किया जाता है, तो वह उसी क्रम में शेयरधारकों और प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन होगा।

च. बुलियन एक्सचेंज और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन प्रत्येक वर्ष सभी निदेशकों को कम से कम सात दिनों का प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

छ. शासी बोर्ड में किसी नए निदेशक के शामिल होने के समय, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऐसे निदेशकों को उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों तथा उनसे अपेक्षाओं के संबंध में परिचय कार्यक्रम प्रदान करेगा। इसके अलावा, बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन संदर्भ में आसानी के लिए अन्य सामग्रियों के साथ-साथ निदेशकों पर लागू आचार संहिता सहित लागू नियामक उपबंधों की सूची भी प्रदान करेगा।

के. राजारामन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./970/2024-25]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY**NOTIFICATION**

Gandhinagar, the 4th February, 2025

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (BULLION MARKET) REGULATIONS, 2025

F. No. IFSCA/GN/2025/001.—*In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019; sections 4, 8A and 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with Section 23G and 25 of the Depositories Act, 1956, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, to provide a framework for recognition of bullion exchanges and bullion clearing corporations, and registration of bullion depositories and vault managers, and matters connected therewith or incidental thereto, namely: —*

CHAPTER I**PRELIMINARY****Short title and commencement**

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Bullion Market) Regulations, 2025.
- (2) These regulations shall come into force on the date of their notification in the Official Gazette.

Definitions

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly:
 - (a) “Act” means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (b) “associate”, in relation to a person, shall include another person:
 - (i) who, directly or indirectly, by himself or in combination with other persons, exercises control over the first person;
 - (ii) who holds control of at least twenty per cent. of the total voting rights of the first person;
 - (iii) who is a holding company or a subsidiary company of the first person;
 - (iv) who is a relative of the first person;
 - (v) who is a member of a Hindu Undivided Family wherein the first person is also a member;
 - (vi) such other cases where the Authority is of the view that a person shall be considered as an associate based on the facts and factors including the extent of control, independence and conflict of interest.
 - (c) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the Act;

- (d) “beneficial owner”, in relation to a bullion depository receipt, means a person whose name is recorded as such with a bullion depository;
- (e) “bullion” means precious metals including gold, silver or any other precious metal in the form of bars or unallocated gold, silver, or such other precious metals, as the Authority may consider relevant in this regard, relating to good delivery, quality, quantity, and any other aspect in relation to bullion trading, from time to time;
- (f) “bullion clearing corporation” means an entity which has been granted recognition under these regulations to undertake the activity of clearing and settlement of trades on a bullion exchange;
- (g) “bullion clearing member” means an entity having clearing rights in any bullion clearing corporation and as such registered by the Authority;
- (h) “bullion contract” means a contract for the purchase and sale of bullion, and includes bullion depository receipts, bullion products similar to bullion depository receipts, derivative contracts related to bullion, bullion spot delivery contracts and any other bullion related contracts, as may be permitted by the Authority;
- (i) “bullion depository” means an entity undertaking depository business in relation to securities including bullion depository receipts in an International Financial Services Centre and regulated by the Authority.;
- (j) “bullion depository receipt with underlying bullion (bullion depository receipt)” shall mean a receipt created by a bullion depository and listed on a bullion exchange.
- (k) “bullion exchange” means an entity which has been granted recognition by the Authority for the purpose of assisting, regulating or controlling the business of buying, selling and dealing of bullion depository receipts and derivative contracts on bullion in an International Financial Services Centre;
- (l) “bullion market” includes the bullion exchanges, bullion clearing corporations, bullion depositories, vaults, bullion contracts dealt therein, and any other entities connected thereto;
- (m) “bullion trading member” means an entity having trading rights in a bullion exchange;
- (n) “consumer” or “client” means a constituent of a bullion trading member and includes special category client or such other persons as may be specified by the Authority;
- (o) “control” includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner.
- Provided that a director or officer of a target company shall not be considered to be in control over such target company, merely by virtue of holding such position;
- (p) “depositor” or “supplier” means a consumer who delivers bullion to the vault manager empaneled with any bullion depository for its storage in vault;
- (q) “foreign jurisdiction” means a country, other than India, whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commission’s Multilateral Memorandum of Understanding (Appendix A signatories) or a signatory to bilateral Memorandum of Understanding with the Authority, and which is not identified in the public statement of Financial Action Task Force as:
- (i) a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or

- (ii) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;
- (r) “good delivery standard” means the quality or standard of bullion as notified by the Authority or any other entity as may be specified by the Authority or the bullion exchange;
- (s) “governing board” means the board of directors of a bullion exchange or a bullion clearing corporation or a bullion depository;
- (t) “key management personnel”, in relation to a bullion exchange, bullion clearing corporation or bullion depository, shall mean and include:
 - (i) a person appointed as the managing director or executive director;
 - (ii) a person serving as the head of a department or vertical and directly reporting to the managing director or to the directors of its governing board;
 - (iii) a person serving as the head of a core function as specified under Part C of Schedule-I of these regulations;
 - (iv) a person who stands higher in hierarchy to the head of any department(s) handling core function(s);
 - (v) a person to whom a key management personnel reports;
 - (vi) a person covered under the definition of “key managerial personnel” under the Companies Act, 2013; or
 - (vii) any other person who is a key decision-making authority as identified by its managing director or nomination and remuneration committee.
- (u) “netting” means the determination by bullion clearing corporation of net payment or delivery obligations of the bullion clearing members by setting off or adjustment of the inter se obligations or claims arising out of buying and selling of securities traded on bullion exchange, including the claims and obligations arising out of the determination by the bullion clearing corporation or bullion exchange, on the insolvency, winding-up, liquidation or resolution of any bullion clearing member or bullion trading member or client or such other circumstances as the bullion clearing corporation may specify in its bye-laws, of the transactions admitted for settlement at a future date, so that only a net claim be demanded, or a net obligation be owed;
- (v) “net worth” means the aggregate value of paid up equity share capital plus share premium account and free reserves (excluding statutory funds, benefit funds and reserves created out of revaluation) reduced by the investments in businesses, whether related or unrelated, aggregate value of accumulated losses and deferred expenditure not written off, including miscellaneous expenses not written off;
- (w) “non-independent director” means a director elected or nominated by the shareholders who is neither a bullion trading member nor bullion clearing member, as the case may be, or their associates or agents;
- (x) “novation” means the act of bullion clearing corporation interposing itself between the parties of every trade, as a legal counterparty;
- (y) “participant” means a bullion depository participant registered as such under these regulations;
- (z) “public” includes any member or section of the public but does not include any bullion trading member or bullion clearing member or their associates or agents;
- (aa) “public financial institution” shall have the same meaning as assigned to it in clause (72) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

- (bb) “public interest director” means an independent director representing the interest of investors or traders or customers of securities traded on bullion exchange and who does not have any association, directly or indirectly, which in the opinion of the Authority, is in conflict with her role;
- (cc) “records” or “documents” include records or documents maintained in physical form or as an electronic record as defined under clause (t) of sub section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2002 or in such other form as may be specified by the Authority;
- (dd) “registered owner”, in relation to bullion depository receipt, means a bullion depository whose name is entered as such in the register of the vault manager;
- (ee) “rules” means the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957;
- (ff) “vault” means any permitted premises wherein the vault manager takes custody of the bullion deposited by the depositor and includes such other place as may be permitted by the Authority, for storage of bullion;
- (gg) “vaulting business” means the business of establishing and maintaining vaults for storage of bullion;
- (hh) “vault manager” means an entity registered with the Authority for managing the vault and is empanelled with the bullion depository for carrying out the vaulting business.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act or the Companies Act, 2013, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meaning respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

RECOGNITION OF BULLION EXCHANGE AND BULLION CLEARING CORPORATION

Application for recognition of Bullion Exchange or Bullion Clearing Corporation

3. (1) An applicant which is desirous of being recognised as a bullion exchange or bullion clearing corporation shall submit an application along with the applicable fee in such form and manner as may be specified by the Authority.
- (2) Every application under sub-regulation (1) shall contain such particulars as may be specified by the Authority, and shall be accompanied by the copy of the memorandum of association, articles of association, bye-laws and such other documents for the regulation and control of bullion contracts including:
 - (a) with regard to the governing board of such bullion exchange or bullion clearing corporation, its constitution and powers of management and the manner in which its business is to be transacted;
 - (b) the powers and duties of the office bearers of the bullion exchange or bullion clearing corporation;
 - (c) the admission of various classes of members into the bullion exchange or bullion clearing corporation, the qualifications for membership, and the exclusion, suspension, expulsion and re- admission of such members;
 - (d) such other matter(s) as may be specified by the Authority.

Conditions for grant of recognition as a Bullion Exchange or Bullion Clearing Corporation

4. (1) An applicant seeking recognition as a bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, shall comply with the following conditions, namely:
- (a) the applicant is a company limited by shares;
 - (b) the applicant is demutualised;
 - (c) the applicant, its directors and shareholders who hold or intend to hold shares, are fit and proper persons, as specified in these regulations;
 - (d) the applicant satisfies the conditions relating to ownership and governance structure, as specified in these regulations;
 - (e) the applicant satisfies the net worth requirements, as specified in these regulations;
 - (f) the applicant has the requisite capability including financial capacity, functional expertise and infrastructure.

Explanation: For the purposes of sub-clause (b), the term “demutualised” shall mean that the ownership and management of the applicant is segregated from the trading rights or clearing rights, as the case may be, in terms of these regulations.

- (2) An applicant seeking recognition as a bullion exchange shall, in addition to the conditions specified in sub-regulation (1), comply with the following conditions, namely:

- (a) the applicant has necessary infrastructure for the orderly execution of trades;
- (b) the applicant has an online screen-based trading system;
- (c) the applicant has an online surveillance capability which monitors positions, prices and volumes in real time so as to ensure market integrity;
- (d) the applicant has adequate infrastructure to list bullion depository receipts for trading on its platform, wherever applicable;
- (e) the applicant has necessary capability to have a comprehensive network of bullion trading members and has adequate facility to admit and regulate its members;
- (f) the applicant has made necessary arrangements to establish connectivity with its bullion trading members and bullion clearing corporation;
- (g) the applicant has adequate consumer grievance redressal mechanism and arbitration mechanism to resolve disputes arising out of trades and their settlement;
- (h) the applicant has the facility to disseminate information about trades, quantities and quotes in real time to at least two information vending networks which are accessible to consumers;
- (i) the applicant has adequate systems’ capacity supported by a business continuity plan including a disaster recovery site;
- (j) the applicant has in its employment, sufficient number of persons having adequate professional and other relevant experience; and
- (k) any other conditions as may be specified by the Authority.

- (3) An applicant seeking recognition as a bullion clearing corporation shall, in addition to the conditions as specified in sub-regulation (1), comply with the following conditions, namely:

- (a) the applicant has necessary infrastructure to ensure timely clearing and settlement of trades;
- (b) the applicant has an adequate risk management mechanism;

- (c) the applicant has a settlement procedure including netting, novation and guarantee for settlement of trades in place, which is in accordance with the manner specified by the Authority;
- (d) the applicant has the capacity to establish a fund to guarantee settlement of trades;
- (e) the applicant has necessary capability to have a wide network of bullion clearing members and adequate facility to admit and regulate its members;
- (f) the applicant has necessary capability to establish connectivity with bullion depository, clearing banks, bullion exchange and bullion clearing members;
- (g) the applicant has adequate systems' capacity for on-line/real time risk management of trades cleared and settled and is supported by a suitable business continuity plan including a disaster recovery site;
- (h) the applicant has in its employment, sufficient number of persons having adequate professional and other relevant experience to the satisfaction of the Authority;
- (i) the applicant has necessary arrangements in place for resolving disputes and redressal of grievances arising out of clearing and settlement of trades;
- (j) the applicant has an agreement with a bullion depository and with a bullion exchange in respect of clearing and settlement of the trades; and
- (k) any other conditions as may be specified by the Authority.

(4) The Authority may, on being satisfied with the capability of the applicant to comply with the conditions laid down in these regulations, grant in-principle approval to the applicant which shall be valid for a period of one year.

Provided that the Authority may, upon sufficient cause shown by the applicant, extend the validity of in-principle approval for a further period not exceeding six months or any other period as specified by the Authority.

(5) The Authority may, before granting recognition to a bullion exchange or bullion clearing corporation, make inquiries and require such further information or document to be furnished, as it may deem necessary.

Grant of recognition as a Bullion Exchange or Bullion Clearing Corporation

5. The Authority may, after considering the application and on being satisfied that the applicant has complied with the conditions laid down in regulation 5 and is eligible to be recognised as a bullion exchange or a bullion clearing corporation, as the case may be, grant recognition to the applicant in terms of section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and may impose such additional conditions as it may deem fit.

Provided that the Authority may refuse to grant recognition to a bullion exchange or a bullion clearing corporation after giving an opportunity of being heard, in the manner provided under sub-section (4) of section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

Period of recognition

6. (1) The period of recognition granted to a bullion exchange shall be as per rule 6 of the rules.
- (2) The recognition granted to a bullion clearing corporation, unless granted on a permanent basis, shall be for such period not less than one year as may be specified by the Authority.

Renewal of recognition

7. (1) The provisions of these regulations, as applicable to the grant of recognition, shall also apply in relation to an application for renewal of recognition of a bullion exchange or a bullion clearing corporation.
- (2) The bullion exchange or a bullion clearing corporation shall comply with the applicable conditions specified in sub-regulation (2) and sub-regulation (3) of regulation 4, as the case may be, on a continuous basis.

Withdrawal of recognition

8. The recognition granted to a bullion exchange or a bullion clearing corporation may be withdrawn by the Authority, after being given an opportunity of being heard, in the manner provided under Section 5 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

Code of conduct for Bullion Exchange or Bullion Clearing Corporation

9. A bullion exchange or a bullion clearing corporation shall abide by the Code of Conduct as specified under Part-A of Schedule-I of these regulations.

CHAPTER III**OPERATIONAL FRAMEWORK OF BULLION EXCHANGE****Clearing and settlement of trades**

10. Every bullion exchange shall, with effect from the date of the commencement of its operations, use the services of bullion clearing corporation for clearing and settlement of its trades.

Agreement between Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation

11. (1) Subject to the provisions of sub-regulation (2), a bullion exchange shall avail the service of a bullion clearing corporation pursuant to an agreement in writing between them stipulating their rights and obligations, the conditions for admission of securities for clearing and settlement, risk management measures, charges for clearing and settlement and other incidental and consequential matters.
- (2) The bullion exchange shall extend its arbitration mechanism for settlement of disputes or claims arising out of clearing and settlement of trades executed on such bullion exchange.

Functions of the Bullion Exchange

12. (1) Subject to the provisions of these regulations, it shall be the duty of the bullion exchange to protect the interests of consumers in the bullion market, to regulate bullion contracts, and work with associations, global agencies or institutions in the bullion industry to promote growth, transparency and orderly development of the bullion market by such measures as the bullion exchange may deem fit including such measures, as the Authority may direct, from time to time.
- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the measures referred above may provide for:
- regulating the bullion contracts;
 - regulating the working of the bullion trading members, and such other

- intermediaries who may be associated with the bullion exchange;
- (c) establishing and enforcing good delivery standards;
 - (d) prohibiting fraudulent and unfair trade practices in the bullion market;
 - (e) promoting consumers' education and training of intermediaries of bullion market;
 - (f) calling for information from, undertaking inspection, conducting inquiries and audits of the bullion trading members, intermediaries and other persons associated with the bullion exchange;
 - (g) levying fees or other charges for carrying out the purposes of these regulations;
 - (h) setting standards of quality, quantity and other parameters and means of verification of such standards;
 - (i) setting standards for vaulting and transport of bullion in consultation with the bullion depository; and
 - (j) performing such other functions as may be specified by the Authority.

CHAPTER IV

GENERAL OBLIGATIONS OF BULLION CLEARING CORPORATIONS

General Obligations

13. A bullion clearing corporation shall comply with these regulations and the agreement entered into with the concerned bullion exchange in addition to complying with such other conditions as may be imposed by the Authority.

Settlement and Netting

14. (1) The payment and settlement in respect of a transaction in a bullion exchange or a bullion clearing corporation shall be determined in accordance with the netting or grossing procedure as specified in the bye-laws of such bullion exchange and bullion clearing corporation.

(2) Payment and settlement in respect of a transaction between parties referred to in sub-regulation (1), effected under the bye-laws of a bullion exchange or bullion clearing corporation, shall be final, irrevocable and binding on such parties.

(3) When a settlement has become final and irrevocable, the right of the bullion exchange or the bullion clearing corporation, as the case may be, to appropriate any collaterals or deposits or margins contributed by the bullion trading member, bullion clearing member or consumer towards its settlement or other obligations in accordance with the bye-laws of the bullion exchange or bullion clearing corporation shall take priority over any other liability of or claim against the said bullion trading member, bullion clearing member or consumer, as the case may be.

Explanation: For removal of doubts, it is hereby declared that the settlement, whether gross or net, referred to in this regulation is final and irrevocable as soon as the money, securities or other transactions payable as a result of such settlement is determined, whether or not such money, securities or other transactions is actually paid.

Right of Bullion Clearing Corporation

15. The right of a bullion clearing corporation to recover the dues from its bullion clearing members, arising from the discharge of their clearing and settlement functions, from the collaterals, deposits and the assets of the bullion clearing members, shall have priority over any other liability of or claim against the bullion clearing members.

Orderly Winding down

16. (1) Every bullion clearing corporation shall devise and maintain a framework for orderly winding down of its critical operations and services covering both voluntary and involuntary scenarios.
- (2) Such framework shall provide for:
- (a) the timely and orderly settlement or cessation or transfer of position(s);
 - (b) the transfer of the collateral(s) or deposit(s) or margin(s) or any other asset(s) of the members to another bullion clearing corporation that would take over the operations of the bullion clearing corporation; and
 - (c) such other related matter.

CHAPTER V**NET WORTH OF BULLION EXCHANGE AND BULLION CLEARING CORPORATION****Net worth requirements**

17. (1) A bullion exchange shall have a minimum net worth of USD 10 million at all times.
- (2) A bullion clearing corporation shall have a minimum net worth of USD 10 million at all times.
- (3) If required, as a risk management measure, the Authority may specify higher net worth for a bullion exchange or a bullion clearing corporation based on the nature and scale of their respective business.
- (4) A bullion exchange or a bullion clearing corporation shall not distribute profits in any manner to its shareholders until the net worth specified in this regulation is achieved.
- (5) Every bullion exchange or bullion clearing corporation shall submit an audited net worth certificate to the Authority issued by statutory auditor on an yearly basis by the thirtieth day of September of every year for the preceding financial year.

CHAPTER VI**OWNERSHIP OF BULLION EXCHANGE AND BULLION CLEARING CORPORATION****General conditions**

18. (1) Save as otherwise provided in these regulations, the shareholding or voting rights of a person in a bullion exchange or a bullion clearing corporation shall not exceed the limits mentioned in this Chapter at any point of time.

(2) The shareholding as mentioned in this Chapter shall include any instrument owned or controlled, directly or indirectly, that provides for entitlement to equity or rights over equity at any future date.

Shareholding in a bullion exchange

19. (1) The shareholding in a bullion exchange shall be held by:

- (a) a bullion exchange or stock exchange recognised in India or a Foreign Jurisdiction with a minimum of twenty-six per cent. of the paid-up equity share capital of the bullion exchange; or
- (b) a joint venture of market infrastructure institutions recognised in India, an International Financial Services Centre or a Foreign Jurisdiction with a minimum of fifty-one per cent. of the paid-up equity share capital of the bullion exchange held by such joint venture.

Provided that the bullion exchange or stock exchange(s) recognised in India, an International Financial Services Centre or a Foreign Jurisdiction shall, directly or indirectly, have fifty-one per cent. or more shareholding within the joint venture.

(2) Any other person in India, an International Financial Services Centre or a Foreign Jurisdiction shall not at any time, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquire or hold more than twenty-five per cent. of the paid-up equity share capital in the bullion exchange.

Shareholding in a bullion clearing corporation

20. (1) The shareholding in a bullion clearing corporation shall be held by:

- (a) a bullion exchange or a stock exchange or a clearing corporation recognised in India, an International Financial Services Centre or a Foreign Jurisdiction with a minimum of twenty-six per cent. of the paid-up equity share capital of the bullion clearing corporation; or
- (b) a joint venture of market infrastructure institutions recognised in India, an International Financial Services Centre or a Foreign Jurisdiction with a minimum of fifty-one per cent. of the paid-up equity share capital of the bullion clearing corporation held by such joint venture:

Provided that the bullion exchange(s) or stock exchange(s) recognised in India, an International Financial Services Centre or a Foreign Jurisdiction shall have, directly or indirectly, fifty-one per cent. or more shareholding within the joint venture.

(2) Any other person in India, an International Financial Services Centre or a Foreign Jurisdiction shall not at any time, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquire or hold more than twenty-five per cent. of the paid-up equity share capital in the bullion clearing corporation.

Eligibility for acquiring or holding shares in bullion exchange or bullion clearing corporation

21. (1) No person shall, directly or indirectly, acquire or hold any equity shares or voting rights of a bullion exchange or bullion clearing corporation unless it is a fit and proper person:

Provided that the onus shall be on the bullion exchange or bullion clearing corporation to ensure that all its shareholders are fit and proper persons:

Provided further that such a requirement to ensure that all its shareholders are fit and proper persons shall not be applicable to a bullion exchange or bullion clearing

corporation for shareholding of a person who, directly or indirectly, acquires or holds less than two per cent. equity shares or voting rights of such bullion exchange or bullion clearing corporation.

(2) Any person eligible to acquire or hold more than five per cent. of the paid-up equity shares or voting rights may acquire or hold more than five per cent. of the paid-up equity shares or voting rights in a bullion exchange or bullion clearing corporation only if it has obtained prior approval from the Authority.

(3) The application for seeking approval in terms of sub-regulation (2) of this regulation shall be made to the Authority through the concerned bullion exchange or bullion clearing corporation.

(4) The bullion exchange or bullion clearing corporation shall verify the declarations or undertakings given by the shareholders and forward the application along with its recommendation for approval to the Authority.

Monitoring of shareholding limits

22. The bullion exchange or bullion clearing corporation shall put in place an adequate monitoring mechanism to ensure compliance with the shareholding conditions specified in these regulations at all times.

Disclosure of shareholding

23. The bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, shall disclose their shareholding pattern to the Authority on a quarterly basis within fifteen days from the end of each quarter, including the following:
- (a) the names of the ten largest shareholders along with the number and percentage of shares held by them; and
 - (b) the names of the shareholders who had acquired shares in that quarter.

Record keeping

24. In addition to the requirements under other laws in force, a bullion exchange and bullion clearing corporation shall maintain and preserve all the books, registers, other documents and records relating to the issue or transfer of its securities for a period of not less than eight years.

CHAPTER VII

GOVERNANCE OF BULLION EXCHANGE AND BULLION CLEARING CORPORATION

Composition of the Governing Board

25. (1) Every bullion exchange and bullion clearing corporation shall adopt the broader principles of governance prescribed by International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and Principles for Financial Market Infrastructures (PFMIs) and such other governance norms as may be specified by the Authority.
- (2) The governing board of every bullion exchange and bullion clearing corporation shall include:
- (i) non-independent directors;
 - (ii) public interest directors; and

(iii) managing director.

(3) Subject to prior approval of the Authority, the chairperson shall be elected by the governing board from amongst the public interest directors.

(4) The number of public interest directors shall not be less than the number of non-independent directors on the governing board.

(5) The managing director shall be included in the category of non-independent directors.

(6) Any employee of a bullion exchange or bullion clearing corporation may be appointed as a director on the governing board in addition to the managing director and such director shall be deemed to be a non-independent director.

(7) No trading member or clearing member in an International Financial Services Centre, or their associates and agents, irrespective of the bullion exchange or bullion clearing corporation of which they are members, shall be on the governing board.

(8) For the purposes of sub-regulation (7), a person who is a director in an entity, which is a trading member or clearing member or has associate(s) as trading member(s) or clearing member(s), shall be deemed to be a trading member or clearing member.

Provided that a person shall not be deemed to be trading member or clearing member or their associate for the purpose of sub-regulation (7), if she is on the board of a public financial institution or scheduled commercial bank and such public financial institution or scheduled commercial bank or its associate is a trading member or clearing member:

Provided further that the independent directors of the associates of public financial institution or scheduled commercial bank, who are trading member and/or clearing member and where the majority shareholding is that of such public financial institution or scheduled commercial bank, shall not be deemed to be a trading member and/or clearing member for the purpose of sub-regulation (7).

(9) The appointment of director shall be subject to the fulfillment of other conditions as may be specified by the Authority.

(10) A bullion exchange and bullion clearing corporation, shall monitor and ensure the compliance of sub-regulation (7) on a continuous basis, to ensure that directors appointed, on their governing board do not get associated with trading member or clearing member.

(11) The number of public interest directors shall not be less than the number of non-independent directors to constitute the quorum for the meeting of the governing board.

(12) The voting on a resolution in the meeting of the governing board shall be valid only when the number of public interest directors that have cast their vote on such resolution is equal to or more than the number of non-independent directors who have cast their vote on such resolution.

(13) The casting vote in the meetings of the governing board of a bullion exchange or a bullion clearing corporation shall be with the chairperson of the governing board.

(14) The governing board of the bullion exchange and the bullion clearing corporation shall consist of directors having the requisite qualifications and experience in the areas of bullion markets, securities markets, finance and accountancy, legal and regulatory practice, technology, risk management or, management or administration:

Provided that the governing board of the bullion exchange and bullion clearing corporation shall consist of at least one public interest director having the requisite qualification and experience in each of the areas of bullion markets, securities markets, finance and accountancy, legal and regulatory practice, and technology.

(15) The bullion exchange and bullion clearing corporation may also appoint directors having qualifications and experience in other areas which may be specific to them:

Provided that the bullion exchange and bullion clearing corporation shall ensure that

the governing board collectively consists of directors with qualifications and experience as specified at sub-regulation (14).

Conditions of appointment of Directors

26. (1) The appointment and re-appointment of all non-independent directors on the governing board of every bullion exchange or bullion clearing corporation shall be with the prior approval of the Authority.

(2) The public interest directors on the governing board of the bullion exchange and the bullion clearing corporation shall be appointed with the prior approval of the Authority.

(3) Public interest directors shall be appointed for a term of three years, extendable by another term of three years, subject to performance review in a manner as may be specified by the Authority:

Provided that no person above the age of seventy-five years shall be eligible to act as a public interest director on the board of a bullion exchange or a bullion clearing corporation.

(4) A public interest director on the board of a bullion exchange or a bullion clearing corporation shall not act simultaneously as director on the board of its subsidiary or on the board of any other Market Infrastructure Institution in an International Financial Services Centre or on the board of subsidiary of such other Market Infrastructure Institution in an International Financial Services Centre.

(5) A public interest director on the board of a bullion exchange or a bullion clearing corporation shall keep its governing board apprised of any conflict of interest, which may arise as a result of the public interest director providing services, either directly or indirectly, to any trading member or clearing member or their associates and agents.

(6) No public interest director shall become a non-independent director unless there is a cooling-off period of three years after ceasing to be a public interest director.

(7) No public interest director on the board of a bullion exchange or a bullion clearing corporation, shall become a director on the board of subsidiary of that bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, unless there is a cooling-off period of three years after ceasing to be a public interest director.

(8) If any issue arises as to whether an assignment or position of a public interest director is in conflict with her role, the Authority's decision shall be final.

(9) The application for appointment of Directors shall be made in the manner as specified under Part-D of Schedule – I of these regulations.

Managing Director of a Bullion Exchange or Bullion Clearing Corporation

27. (1) The appointment, renewal of appointment, removal or termination of service of the managing director, including the compensation payable, shall be subject to the prior approval of the Authority.

Provided that the terms and conditions of the compensation of the managing director shall not be changed without prior approval of the Authority.

(2) Every bullion exchange or bullion clearing corporation shall, subject to the guidelines issued by the Authority, determine the qualification, manner of appointment, terms and conditions of appointment and other procedural formalities associated with the selection/ appointment of the managing director.

(3) The appointment of the managing director shall be for a term not exceeding five years:

Provided that post the completion of the first term, the bullion exchange or the bullion clearing corporation shall conduct the appointment process for appointment of the

managing director afresh:

Provided further that a person may act as the managing director of a bullion exchange or bullion clearing corporation for a maximum period of ten years, subject to a maximum age limit of sixty-five years.

(4) The managing director of a bullion exchange or a bullion clearing corporation shall not—

- (a) be a shareholder or an associate of a shareholder of a bullion exchange or bullion clearing corporation or shareholder of an associate of a bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be;
- (b) be a bullion trading member or a bullion clearing member or her associate or agent or shareholder of a bullion trading member or bullion clearing member or shareholder of an associate or agent of a bullion trading member or a bullion clearing member; or
- (c) hold any position concurrently in the subsidiary of a bullion exchange or a bullion clearing corporation or in any other entity associated with a bullion exchange or a bullion clearing corporation:

Provided that the managing director of a bullion exchange may be appointed on the governing board, but not as managing director, of the subsidiary of a bullion exchange or a bullion clearing corporation.

(5) The managing director shall be liable for removal or termination of services by the governing board of the bullion exchange or bullion clearing corporation with the prior approval of the Authority for failure to give effect to the directions, guidelines and other orders issued by the Authority or the rules, the articles of association, bye-laws and regulations of the bullion exchange or the bullion clearing corporation.

(6) The Authority may suo-motu initiate the process of removal or termination of the appointment of the managing director if deemed fit in the interest of securities market or bullion market:

Provided that no managing director shall be removed or her appointment shall be terminated unless she has been given an opportunity of being heard.

Code of Conduct for the Governing Board, Directors, Committee members and Key Management Personnel

28. (1) The governing board, directors, committee members and key management personnel of a bullion exchange or a bullion clearing corporation shall abide by the Code of Conduct specified under Part-B of Schedule I of these regulations.

(2) Every director and key management personnel of a bullion exchange or a bullion clearing corporation shall be a fit and proper person as provided in Chapter XIV.

(3) Every director, committee member and key management personnel, upon becoming aware of any act of wrongdoing at the bullion exchange or bullion clearing corporation shall report the same immediately to its governing board or to the Authority.

(4) The Authority may, in the event of any failure by the directors, committee members or key management personnel to adhere to any provision of these regulations or Code of Conduct or in case of any conflict of interest, take appropriate action, including removal or termination of their appointment, either upon a reference from the bullion exchange or the bullion clearing corporation or suo-motu.

Provided that no such action shall be initiated without giving the concerned person an opportunity of being heard.

Segregation of functions

29. (1) The bullion exchange or bullion clearing corporation shall identify its functions and segregate them into the following verticals:
- (a) Vertical 1: Critical operations;
 - (b) Vertical 2: Regulatory, legal, Compliance, Risk Management and Customer Grievances; and
 - (c) Vertical 3: Other functions including business development.
- (2) The functions of the verticals under sub-regulation (1), are provided at Part C of Schedule I of these regulations.
- (3) The functions under the verticals, referred to in clause (a) and (b) of sub-regulation (1) shall be given higher priority in terms of resource allocation by the bullion exchange or bullion clearing corporation over the functions under the vertical referred to in clause (c) of sub-regulation (1).
- (4) The bullion exchange or bullion clearing corporation shall periodically and objectively assess the adequacy of resources allocated to the first two verticals as mentioned in sub-regulation (1).

Statutory Committees

30. (1) A bullion exchange or a bullion clearing corporation shall constitute such Committees, as may be specified by the Authority.
- (2) The composition, quorum and functions of the committees under sub-regulation (1) shall be in the manner specified by the Authority.

Appointment of Compliance Officer

31. (1) A bullion exchange or bullion clearing corporation shall appoint a Compliance Officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the provisions of the Act or relevant rules, regulations and circulars, guidelines or directions issued thereunder by the Authority or any other regulatory Authority, and also for the redressal of customers' grievances.
- (2) The Compliance Officer shall immediately and independently report to the Authority, any non-compliance as referred to in sub-regulation (1) observed by her and shall also submit a report thereon, to the Authority on a quarterly basis within 45 days from the end of the quarter in a manner specified by the Authority.

Appointment of Chief Risk Officer

32. (1) A bullion exchange or bullion clearing corporation shall appoint a Chief Risk Officer to identify, monitor and initiate necessary steps to mitigate the risk associated with the functioning of a bullion exchange or bullion clearing corporation.
- (2) The Chief Risk Officer shall be responsible for the overall risk management of the bullion exchange or bullion clearing corporation and submit a report to the Authority on a half-yearly basis within 90 days from the end of half year.

Appointment of Chief Legal Officer

33. (1) A bullion exchange or bullion clearing corporation, which is not a subsidiary of a market infrastructure institution or a joint venture of market infrastructure institutions, shall be required to appoint a Chief Legal Officer.
- (2) A bullion exchange or bullion clearing corporation, which is a subsidiary of a market

infrastructure institution or a joint venture of market infrastructure institutions, may take legal assistance from its parent entity.

Provided that if the required legal assistance is not provided by the parent entity, such a bullion exchange or bullion clearing corporation shall appoint a Chief Legal Officer to manage its legal matters.

Provided further that the Authority may require any bullion exchange or bullion clearing corporation beyond a specified size and scale of operations in an International Financial Services Centre to appoint a Chief Legal Officer.

(3) The Chief Legal Officer shall also be responsible for taking the necessary steps to mitigate legal risk associated with the functioning of a bullion exchange or bullion clearing corporation, including but not limited to-

- (a) drafting and vetting of the bye-laws or any amendments therein before submission of such documents to the Authority for approval;
- (b) vetting of legal documents related to any cross-border arrangement proposed to be entered into by a bullion exchange or bullion clearing corporation; and
- (c) such other functions as may be specified by the governing board of a bullion exchange or bullion clearing corporation or as specified by the Authority.

Appointment of Chief Information Security Officer

34. (1) A bullion exchange or bullion clearing corporation shall appoint a Chief Information Security Officer separately and in addition to a Chief Technology Officer.

(2) The Chief Information Security Officer shall be responsible for overseeing the cyber security posture of bullion exchange or bullion clearing corporation and shall report directly to the Managing Director or Chief Executive Officer.

CHAPTER VIII

GENERAL OBLIGATIONS OF BULLION EXCHANGE AND BULLION CLEARING CORPORATION

Consumer Education and Protection Fund

35. Every bullion exchange shall establish a consumer education and protection fund to promote consumer education and provide compensation to consumers in case of defaults by the bullion trading members, in a manner as may be specified by the Authority.

Settlement Guarantee Fund

36. (1) Every bullion clearing corporation shall establish and maintain a Settlement Guarantee Fund to guarantee the settlement of trades executed on a bullion exchange.

(2) The contribution to the Settlement Guarantee Fund shall be made by the bullion exchange, the bullion clearing corporation, the bullion trading members and clearing members, in a manner as may be specified by the Authority.

(3) In the event of a bullion clearing member failing to fulfill its settlement obligations, the amount lying in the Settlement Guarantee Fund shall be utilized to complete the settlement.

(4) The corpus of the Fund shall be adequate to meet the settlement obligations arising on account of failure of bullion clearing member(s).

- (5) The sufficiency of the corpus of the Fund shall be tested by way of periodic stress tests, in a manner as may be specified by the Authority.
- (6) The Fund shall have a corpus equivalent to at least the minimum required corpus as arrived from the monthly stress test value or USD 1 million, whichever is higher.
- (7) The utilization of the Fund shall be in accordance with the norms as may be specified by the Authority.

Utilization of Profits and Investments

37. (1) The utilization of profits and investments by bullion exchange and bullion clearing corporation shall be in accordance with the norms as specified by the Authority.
- (2) The bullion exchange or bullion clearing corporation shall not carry out any other activity involving deployment of funds or otherwise without prior approval of the Authority;
- Provided that prior approval of the Authority shall not be required in case of treasury investments if such investments are as per the investment policy approved by the governing board of bullion exchange or bullion clearing corporation;
- Provided further that the bullion exchange or bullion clearing corporation may engage in activities involving deployment of funds or otherwise that are unrelated or not incidental to its activity as a bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, through a separate legal entity and subject to approval of the Authority.

Equal, fair and transparent access

38. (1) The bullion clearing corporation shall lay down a policy framework for ensuring that there is no discrimination while rendering clearing and settlement services in settlement of trades executed on shareholder bullion exchange from those executed on non-shareholder bullion exchange.
- (2) Such framework shall be made available on the website of the bullion clearing corporation and shall provide the basis on which access to clearing and settlement services of the bullion clearing corporation has been provided to a shareholder bullion exchange along with the manner in which the said requirements should be complied with by non-shareholder bullion exchange to obtain access to clearing and settlement services.
- (3) The bullion exchange and bullion clearing corporation shall ensure equal, unrestricted, transparent and fair access to all persons without any bias towards their associates and related entities.
- (4) If any issue arises regarding non-discriminatory access to services of a bullion clearing corporation, the decision of the Authority shall be final.

Information and Data Sharing Policy

39. (1) Every bullion exchange or bullion clearing corporation shall lay down a framework for sharing and monitoring of data, including confidential and sensitive data.
- (2) Such framework shall contain: -
- (a) means and manner of data sharing;
 - (b) types of data that can be shared;
 - (c) escalation matrix for data sharing;
 - (d) provisions to have a digital database for recording details of information shared

- along with recipients and reasons for sharing, etc.;
- (e) mechanism to monitor the data shared, utilizing technology, conducting periodic audits to ensure compliance with the policy framework; and
 - (f) accountability mechanism, including assigning individual accountabilities for any breach of data sharing policy.

CHAPTER IX

QUALIFICATION FOR MEMBERSHIP OF THE BULLION EXCHANGE OR BULLION CLEARING CORPORATION

Qualification Criteria

40. The bye-laws of the bullion exchange or the bullion clearing corporation, as the case may be, shall lay down the qualification criteria for grant of membership to the bullion exchange or the bullion clearing corporation, including-
- (i) form of the organisation structure, minimum qualifications and experience of the professional employees,
 - (ii) the financial strength in terms of threshold of key financial ratios, disqualifications, categories of the members, minimum net worth requirements, and limits, if any on the volume of trades or clearing or settlement that such member can perform. in the bullion exchange or the bullion clearing corporation,
 - (iii) the manner in which the applications for the membership shall be processed by the bullion exchange or the bullion clearing corporation,
 - (iv) the provisions for avoiding conflicts of interest, ethical behaviour and conduct of the applicants and the members.

Contracts between Member of a Bullion Exchange and Consumer

41. A contract between members of a bullion exchange or with a bullion clearing member or a consumer shall be in writing and shall be enforced in accordance with the rules and bye-laws of the bullion exchange or the bullion clearing corporation, as the case may be, of which they are members

CHAPTER X

BULLION DEPOSITORIES

42. The provisions relating to grant of recognition, commencement of business, net worth, ownership and governance norms for a depository, as specified in the IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021, shall, mutatis mutandis, apply to a bullion depository.

Additional Requirements for a Bullion Depository

43. (1) In addition to the requirements specified in the IFSCA (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021, for considering grant of registration to a bullion depository, the Authority shall take into account as to whether the bullion depository has —

- (a) bye-laws and legal documents that are consistent with the objective of the bullion depository and for protection of the interest of consumers; and
 - (b) entered into an agreement with a vault manager which has necessary infrastructure and standards for safe storage of the bullion;
- (2) The Authority shall, before granting an approval to a bullion depository to commence its operations under these regulations, make a physical verification of the infrastructure facilities and systems established by the bullion depository.

CHAPTER XI

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF BULLION DEPOSITORIES, PARTICIPANTS AND BENEFICIAL OWNERS

Agreement between a Bullion Depository and a Participant

44. (1) A bullion depository may, if the Authority so desires, enter into an agreement with one or more participants as its agent.
- (2) Every agreement under sub-regulation (1) shall be in such form as may be specified in the bye-laws of such bullion depository.

Services of a Bullion Depository

45. Any person, directly or through a participant, may enter into an agreement, in such form as may be specified by the bye-laws, with any bullion depository for availing its services.

Registration of transfer of Bullion Depository Receipt

46. Every bullion depository shall, on receipt of intimation, directly or from a participant, register the transfer of bullion depository receipt in the name of the transferee.

Rights of Bullion Depositories and Beneficial Owners

47. (1) A bullion depository shall have the right to effect the transfer of ownership of bullion depository receipt on behalf of a beneficial owner.
- (2) Save as otherwise provided in sub-regulation (1), the bullion depository as a registered owner of the bullion depository receipt shall not have any other right in respect of the bullion held by it.
- (3) The beneficial owner shall be entitled to all the rights and benefits and be subjected to all the liabilities in respect of its bullion depository receipt held by a bullion depository.

Register of Beneficial Owner

48. Every bullion depository shall maintain a register and an index of beneficial owners in such manner as may be specified by the Authority.

Pledge or hypothecation of Bullion Depository Receipt held in a Bullion Depository

49. (1) A beneficial owner may, with the previous approval of the bullion depository, create

a pledge or hypothecation in respect of the bullion depository receipt owned by such beneficial owner.

(2) Every beneficial owner shall give an intimation of such a pledge or hypothecation to the bullion depository and such bullion depository shall thereupon make entries in its records accordingly.

(3) Any entry in the records of a bullion depository under sub-regulation (2) shall be treated as evidence of a pledge or hypothecation.

Furnishing of information and records by Bullion Depository and Vault Manager

50. (1) Every bullion depository shall furnish to the vault manager, the details of transfer of the bullion in the name of beneficial owners, at such intervals and in such manner as may be specified in its bye-laws.

(2) Every vault manager shall make available to the bullion depository, copies of such relevant records in respect of bullion held by such depository, as may be specified.

(3) No bullion depository shall empanel a vault manager unless such vault manager has obtained registration from the Authority.

Bullion Depositories to indemnify loss in certain cases

51. (1) Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, with respect to any loss caused to the beneficial owner due to the wrongful act, negligence or default of the bullion depository or the participant, the bullion depository shall indemnify such beneficial owner.

(2) Where the loss due to the negligence of the participant under sub-regulation (1) is indemnified by the bullion depository, the bullion depository shall have the right to recover the same from such participant.

CHAPTER XII

VAULT MANAGERS

Registration of Vault Managers

52. (1) A vault manager shall make an application to the Authority in the form and manner specified by the Authority for obtaining registration, along with an undertaking acknowledging and agreeing to the liabilities under regulation 54.

(2) The Authority may specify the requirements, including net worth of the vault manager and infrastructure for operating a vault for storing the bullion.

(3) The Authority after satisfying itself may grant registration to the applicant.

(4) The Authority shall not reject any application of registration without giving an opportunity of being heard to the applicant.

Liabilities of Vault Managers

53. (1) A vault manager shall be liable for any loss of or injury caused to the bullion stored in a vault managed by it.

Provided that if the bullion is damaged or lost, in spite of taking all reasonable care and precautions by the vault manager, a compensation equal to the value of bullion at the time of its deposit shall be payable by the vault manager to the beneficial owner or the

depositor, as the case may be.

Provided further that if the bullion is damaged or lost due to the negligence of the vault manager, a compensation equal to the value of the bullion, on the date of such damage or loss, shall be payable by the Vault Manager to the beneficial owner or the depositor, as the case may be.

Provided also that the vault manager shall not be responsible for any loss, destruction, damage or deterioration of the bullion attributable to any force-majeure event.

(2) The vault manager shall keep adequate insurance to cover and mitigate various risks, as may be specified by the bullion depository or the Authority.

Vault Manager to keep records and accounts of vaulting business

54. (1) Every vault manager shall maintain a complete and accurate set of records and accounts of all transactions in electronically retrievable form, pertaining to the operations of a vault, including records and accounts of all bullion received in the vault and withdrawn therefrom; and all bullion depository receipts issued in this respect through the bullion depository.

(2) Subject to the provisions of sub-regulation (1), the vault manager shall keep all the records and accounts of the vault business in numerical sequence, separate and distinct from the records and accounts of any other business, in such form, manner and for such period as the Authority or the bullion depository, with which such vault or vaults are empanelled, may specify.

(3) The vault manager shall make available the records and accounts of the vault business for inspection at any time, as may be desired by the Authority, bullion exchange or bullion depository.

CHAPTER XIII

BULLION DEPOSITORY RECEIPTS

55. No bullion depository receipts shall be issued, except in accordance with these regulations.

Depositing Bullion into Vaults

56. (1) A depositor shall place a request for the deposit of the bullion with a vault empanelled with a bullion depository.

(2) The vault manager or any person authorised by it in this behalf, shall ensure execution of all requisite documents before deposit of bullion by the depositor.

(3) The vault manager shall ensure that the bullion to be deposited into the vault meets the good delivery standard, as may be specified by the Authority.

(4) At the time of deposit of the bullion, if so directed by the Authority, the vault manager shall engage the services of an assayer for the purpose of testing the good delivery standard of the bullion.

Creation of Bullion Depository Receipt

57. (1) Every depositor and beneficial owner shall have an account with the bullion depository.

(2) On receipt of bullion from a depositor and after execution of all requisite documents,

the bullion depository shall create and manage the bullion depository receipt issued in the name of such depositor in dematerialised form in such manner as may be specified by the Authority.

Particulars of Bullion Depository Receipts

58. (1) Bullion depository receipts shall be a document of title to bullion containing the following particulars, namely:
- (a) Bullion depository receipt number;
 - (b) vault registration number;
 - (c) name of the vault and its complete postal address;
 - (d) name and address of the depositor;
 - (e) date of issue of the bullion depository receipt;
 - (f) statement that the bullion received shall be delivered to the beneficial owner thereof;
 - (g) description of the bullion with particulars of quantity and grade;
 - (h) private marks of depositor on the bullion, if any;
 - (i) date and signature of the vault manager or her authorised agent; and
 - (j) such other particulars as may be specified by the bullion exchange or the Authority.

(2) In case a vault manager willfully omits any of the particulars set out in sub-regulation (1), such vault manager shall be liable for damages caused by such omission.

Provided that no bullion depository receipt shall be invalid, for the purpose of settlement of disputes or claims, merely on account of omission only of any of the particulars set-forth in sub-regulation (1).

Withdrawal of Bullion

59. (1) On receipt of a request for the withdrawal of bullion from a beneficial owner, directly or through a participant, the bullion depository shall grant an approval and intimate the same to the concerned vault manager.
- (2) On receipt of an approval under sub-regulation (1), the vault manager shall deliver the bullion represented by such bullion depository receipt to the beneficial owner, subject to the beneficial owner producing such documents as may be required and acknowledging in writing the receipt of the bullion.
- (3) If a vault manager refuses or fails to deliver the bullion in compliance with the provisions of these regulations, the burden of proof shall lie on the vault manager to establish the existence of a sufficient reason for such refusal or failure.
- (4) On the withdrawal of bullion from the vault, the vault manager shall intimate the same to the bullion depository.

Delivery of Bullion to be made after charges are paid

60. When a bullion depository receipt has been issued, the vault manager shall not deliver the bullion to the beneficial owner of bullion depository receipt, until the due charges are paid to the vault manager and the bullion depository receipt is surrendered for cancellation.

CHAPTER XIV**FIT AND PROPER REQUIREMENTS****Fit and Proper Criteria**

- 61.** (1) The bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository and vault manager shall ensure that their shareholders, directors and key management personnel are fit and proper persons at all times.
- (2) For the purposes of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a fit and proper person if:
- (a) such person has a general reputation and record of fairness and integrity, including but not limited to -
- (i) financial integrity;
 - (ii) good reputation and character; and
 - (iii) honesty;
- (b) such person has not incurred any of the following disqualifications -
- (i) has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence of the securities laws;
 - (ii) an order for winding up has been passed against the person;
 - (iii) the person, or any of its whole-time directors or managing partners, has been declared insolvent and has not been discharged;
 - (iv) an order, restraining, prohibiting or debarring the person from dealing in securities or from accessing the securities market or the bullion market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;
 - (v) any order against the person which has a bearing on the bullion market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority and a period of three years from the date of the order has not elapsed;
 - (vi) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial sector regulatory authority that is pending;
 - (vii) has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction;
 - (viii) is not financially sound or has been categorized as a wilful defaulter;
 - (ix) has been declared a fugitive economic offender; or
 - (x) any other disqualification, as may be specified by the Authority.
- 62.** If any director or key management personnel of a bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository or vault manager is not deemed to be a fit and proper person as per the criteria specified in regulation 61, bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository or vault manager shall replace such a person within thirty days from the date of such disqualification, failing which, the Authority may initiate the process of declaring the bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository or vault manager as not a fit and proper person.
- 63.** If any question arises on the decision of a bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository or vault manager as to whether a person is fit and proper, the decision of the Authority shall be final.

CHAPTER XV**REGISTRATION OF INTERMEDIARIES AND OTHER PERSONS****Registration of Intermediaries and persons associated with the Bullion Market**

64. (1) No bullion trading member, bullion clearing member, participant, depositor, vault manager or such other intermediary who may be associated with the bullion market, as the Authority may specify, shall participate in any activity relating to the bullion market, except in accordance with the conditions of a certificate of registration obtained from the Authority including any other requirements as may be specified by the Authority.
- (2) All intermediaries specified in sub-regulation (1) shall comply with the fit and proper criteria specified in regulation 61. If any question arises as to whether a person is a fit and proper person, the Authority's decision on such a question shall be final.
- (3) Every application for registration shall be filed in such form and manner along with such fees as may be specified by the Authority.
- (4) The application shall be processed by the concerned bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository, as the case may be, subject to fulfilment of conditions with regard to eligibility requirements as specified by the Authority and forwarded to the Authority with recommendation for granting registration.
- (5) The Authority may, by order, either *suo-motu* or on the recommendation of the concerned bullion exchange or bullion clearing corporation or bullion depository as the case may be, suspend or cancel a certificate of registration of an intermediary.

Provided that, except in the case of voluntary surrender of certificate of registration, no order under this sub-regulation shall be made unless the person concerned has been given an opportunity of being heard.

Explanation: The voluntary surrender of certificate of registration shall be effective only after approval by the Authority.

CHAPTER XVI**ENQUIRIES, INSPECTION AND ENFORCEMENT****Power to call for Information**

65. The Authority may from time to time call for any information, documents or records from the bullion exchange or the bullion clearing corporation or the bullion depository or the vault manager, or their governing board or any shareholder thereof.

Power of Inspection

66. (1) The Authority may at any time undertake inspection, conduct enquiries and audit of any bullion exchange or bullion clearing corporation or bullion depository or vault manager or bullion trading member or bullion clearing member or their associates, their shareholders or associates and agents of such shareholders.
- (2) Where an inspection under sub-regulation (1) is undertaken by the Authority, such bullion exchange or bullion clearing corporation or bullion depository or vault manager or shareholder or associate and every manager, key management personnel, director, managing director, chairperson or officer and other employee of such bullion exchange or bullion clearing corporation or bullion depository or vault manager or shareholder or associate shall cooperate with such inspection.

Power to issue directions and take action

67. Without prejudice to the powers exercisable by the Authority under the provisions of the Act, or any rules or regulations made thereunder, the Authority may, either *suo-motu* or on receipt of any information or during pendency of any inspection, enquiry or investigation or on completion thereof, in the interest of public or trade or investors or consumers or the securities market or bullion market in an International Financial Services Centre, issue such directions or take action, including levying of penalty, against bullion exchange or bullion clearing corporation or bullion depository or vault manager or their director, committee member, key management personnel, employee or any other associated person, as it deems fit.

Appointment of Auditor by the Authority

68. (1) The Authority shall have the power to appoint an auditor to inspect or investigate into the books of accounts, records, documents, infrastructures, systems and procedures or affairs of a bullion exchange or bullion clearing corporation or bullion depository or vault manager or bullion trading member or bullion clearing member.
- (2) The Authority shall be entitled to recover from the bullion exchange or bullion clearing corporation or bullion depository or vault manager or bullion trading member or bullion clearing member such expenses including fees paid to the auditors for the services referred in sub-regulation (1).

CHAPTER XVII**LISTING OF SECURITIES****Listing**

69. (1) A bullion exchange or bullion depository, as the case may be, may apply for listing of its securities on any recognised stock exchange if it has completed three years of continuous operations immediately preceding the date of application and has obtained prior approval of the Authority.
- (2) The Authority may specify such conditions as it may deem fit in the interest of bullion or securities market including those in relation to transfer of shares held by any person in such bullion exchange or bullion depository.

CHAPTER XVIII**MISCELLANEOUS****Maintenance of website**

70. Every bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository and vault manager shall maintain a website or any other universally accessible repository of electronic information to:
- i. publish all information that it is obliged to publish under these regulations;
 - ii. host all rules, regulations, bye-laws and guidance issued by it, including all amendments therein;
 - iii. provide information about the manner in which applications are to be made for its membership or association, as the case may be; and
 - iv. provide material information about its functions.

Annual net worth certificate

71. Every bullion exchange, bullion clearing corporation and bullion depository shall submit an audited net worth certificate issued by their statutory auditor on an annual basis, by the thirtieth day of September of every year, for the preceding financial year.

Maintenance of books of accounts, records and other documents

72. (1) Every bullion exchange shall maintain and preserve the books of accounts and documents as prescribed under rule 14 of the rules, and such others records as may be specified by the Authority, in electronically retrievable form for a period specified in regulation 24.

(2) Every bullion clearing corporation shall maintain and preserve the following books of accounts and documents in electronically retrievable form for a period specified in regulation 24, namely:-

(a) Minute books of the meetings of:

(i) governing board;

(ii) any committees of the governing board;

(b) Record of bullion clearing members showing their full names, addresses and details of bank and depository accounts for settlement purposes;

(c) Transaction records;

(d) Record of security deposits;

(e) Margin deposits book;

(f) Client margin collection details;

(g) Ledgers;

(h) Journals;

(i) Cash book;

(j) Bank account statement;

(k) Such other books of accounts and documents as may be specified by the Authority.

(3) Every bullion depository, vault manager and other intermediaries referred to in Chapter XV shall maintain and preserve such books of accounts and other documents in an electronically retrievable form for a period not less than eight years.

Submission of returns and reports

73. (1) Every bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository and vault manager shall furnish to the Authority such returns, statements and particulars, in the manner as may be specified by the Authority.

(2) A bullion exchange and bullion clearing corporation shall include in their reports such information prescribed in rule 17 and rule 17A of the rules.

(3) The annual financial statements and records referred to in sub-regulation (1) and (2) with respect to the preceding financial year shall be submitted to the Authority by the thirtieth of September of every year.

Regulatory fees

74. (1) Every bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository and intermediary shall pay the regulatory fee, as may be specified by the Authority.

(2) Every bullion exchange, bullion clearing corporation, bullion depository and intermediary shall submit such further information or clarification with respect to fee payable as may be required under this regulation.

Bye-laws and rules

75. (1) A bullion exchange and bullion clearing corporation shall, with the prior approval of the Authority, make bye-laws for the regulation of bullion contracts and its clearing and settlement, as the case may be, in accordance with Section 9 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) and these regulations;

(2) No memorandum of association, articles of association or any other constitutional documents, in so far as they relate to matters specified in section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) or under these regulations, and bye-laws of a bullion exchange or a bullion clearing corporation, shall be amended except with prior approval of the Authority.

(3) Any amendment(s) proposed to be carried out to the memorandum of association, articles of association, rules, bye-laws, etc., of a bullion exchange or bullion clearing corporation shall be submitted for approval of the Authority, subsequent to the following:

- (a) Such amendment(s) shall first be approved by the governing board of the bullion exchange, bullion clearing corporation, followed by shareholders' approval (wherever applicable), then shall be submitted to the Authority for approval and then published in the Gazette of India (wherever applicable) and the respective State.
- (b) Such amendment(s) shall be accompanied by the minutes of the governing board, the shareholders' resolution and public consultation. However, in case the amendments are pursuant to Regulations, circular, etc., issued by the Authority, the same shall not be subject to shareholder's approval and public criticism.

Power to remove difficulties

76. In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions through guidance notes or circulars.

Power to relax strict enforcement of the regulations

77. (1) The Authority may, *suo-motu* or upon an application made by an entity covered under these regulations, for reasons to be recorded in writing, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations, at any time, in the interests of development and regulation of financial services market in an International Financial Services Centre.

(2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee of USD 1500 or such fee as may be specified by the Authority.

(3) The Authority shall process such application within thirty days of the date of receipt of the application, complete in all respects including responses to clarifications sought, and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxations sought by the applicant:

Provided that the reasons for rejection shall be communicated to the applicant.

Power to specify procedures and issue clarifications

78. For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, manners or guidelines specified in these regulations, by way of circulars.

Repeal and Savings

79. (1) On and from the commencement of these regulations, the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 shall stand repealed.

(2) On and from the commencement of these regulations, the following circulars issued by the Authority shall stand superseded:

- a. Circular No. F. No.286/IFSCA/CMD-DMIIT/PM/2021 dated September 13, 2021 – Code of Conduct and Code of Ethics for the Directors and Key Management Personnel (KMP) of recognised Market Infrastructure Institutions (MIIs) in GIFT- IFSC,
- b. Circular No. 286/IFSCA/CMD-DMIIT/PM/2021/001 dated November 30, 2021 – Clarification regarding disclosure of dealing in securities by Directors and Key Management Personnel of the all recognised MIIs in GIFT-IFSC, and
- c. Circular No. F. No.329/IFSCA/Bullion MIIs/2022-23 dated March 01, 2023 – Net worth requirements for a Bullion Exchange and a Bullion Clearing Corporation.

(3) Notwithstanding such repeal and supersession, -

- a. anything done or any action taken or purported to have been done or taken including registration, recognition or approval granted, suspended or cancelled, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced or show-cause notice issued, under the repealed regulations, prior to such repeal, shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations;
- b. any application made to the Authority under the repealed regulations, prior to such repeal, and pending before it shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these regulations;
- c. the previous operation of the repealed regulations or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, any penalty, incurred in respect of any violation committed against the repealed regulations, or any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations have never been repealed.

(4) After the repeal of International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020, any reference thereto in any other regulations made, guidelines or circulars issued thereunder by the Authority, or any act of the Government of India or other statutory authorities shall be deemed to be a reference to the corresponding provisions of these regulations.

(5) Save as otherwise contained in sub-regulation (2) above, the circulars or guidelines issued by Authority under the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020, shall be deemed to have been issued under these regulations unless and until they are specifically superseded or modified by the Authority.

SCHEDULE – I**Part-A****[See Regulation 9]****Code of Conduct for Bullion Exchange or Bullion Clearing Corporation**

A bullion exchange or a bullion clearing corporation shall:

- (a) always abide by the provisions of the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, or any rules, notifications, regulations, circulars, guidelines or directions issued under these Acts.
- (b) adopt appropriate due diligence measures.
- (c) take effective measures to ensure implementation of risk management framework and good governance practices.
- (d) take appropriate measures towards customer protection and education of customers.
- (e) treat all its applicants and members in a fair and transparent manner.
- (f) promptly inform the Authority of any violations of the provisions of the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, or any rules, notifications, regulations, circulars, guidelines or directions issued under these Acts, committed by any of its members or customers.
- (g) take a proactive and responsible attitude towards safeguarding the interests of customers, integrity of bullion exchange's or bullion clearing corporation's systems, the bullion market and the securities market.

Code of Conduct for Bullion Depository

A bullion depository shall:

- (a) always abide by the provisions of the Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996, or any rules, notifications, regulations, circulars, guidelines or directions issued under these Acts.
- (b) adopt appropriate due diligence measures.
- (c) take effective measures to ensure implementation of proper risk management framework and good governance practices.
- (d) take appropriate measures towards investor protection and education of investors.
- (e) treat all its applicants and members in a fair and transparent manner.
- (f) promptly inform the Authority of any violations of the provisions of Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Depositories Act, 1996, or any rules, notifications, regulations, circulars, guidelines or directions issued under these Acts, committed by any of its vault manager, participants or customers.
- (g) take a proactive and responsible attitude towards safeguarding the interests of investors, integrity of depository's systems and the securities market.

Part-B

[See Regulation 28]

Code of Conduct for governing board, directors, committee members and key management personnel**I. Governing Board**

The governing board of the bullion exchange and bullion clearing corporation shall-

- (a) evaluate profitability margins of the bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be.
- (b) ensure adequacy of resource allocation (both financial and human) towards regulatory compliances.
- (c) focus on strategy, policy level issues and important matters and may review the day-to-day operational matters only in exceptional cases.
- (d) oversee the critical operations including technology as well as the regulatory, risk management, compliance and investor grievance redressal functions of the bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be.
- (e) take the lead in succession planning for the managing director and other key positions.
- (f) play an active role in defining, establishing and documenting risk management framework, covering risk appetite or risk tolerance policy of the bullion exchange or bullion clearing corporation and ensure that the policy contains the following: -
 - (i) role of risk appetite in key processes,
 - (ii) clear quantitative metrics and thresholds to monitor performance of the bullion exchange's or bullion clearing corporation's risk appetite,
 - (iii) acceptability of breaches and trigger response(s), if any, and
 - (iv) zero tolerance for areas such as cyber security, system stability, surveillance, fair access, fraud or corruption, compliance, etc.
- (g) make key stakeholders (executive and non-executive) aware of the use and value of risk appetite across the organization (including implications of breaches) and review and approve risk appetite metrics and thresholds periodically.
- (h) ensure adequate independence of key functions such as regulatory and control functions (risk management, compliance and audit functions) such that;
 - (i) regulatory and control functions have sufficient stature to perform their tasks effectively,
 - (ii) regulatory and control functions operate independently and have appropriate direct access to the governing board of the bullion exchange and bullion clearing corporation and senior management, and
 - (iii) control functions are proactively involved in all relevant decisions and activities.
- (i) Provide for three lines of defense construct where:
 - (i) the first line of defense incorporates business units and support functions as it has the responsibility to own and manage risks associated with day-to-day operational activities,
 - (ii) the second line of defense consists of various oversight functions i.e., regulatory, risk management, compliance teams, and
 - (iii) the third line of defense comprises the internal audit function.

- (j) ensure that the roles and responsibilities of management in relation to three lines of defense are clearly specified and understood and that all employees are responsible for the regulatory, risk management and compliance outcomes.
- (k) ensure a culture of effective communication and challenge (i.e., encourage alternate views or questions from individuals and groups) and value and respect it.
- (l) ensure that any new product, service, revenue stream is examined by the concerned department of the bullion exchange or bullion clearing corporation from the compliance and risk management perspectives in addition to normal viability issues before approving the same.
- (m) review periodically all existing products, services and revenue streams.
- (n) shall meet, without the presence of the managing director and any other executive director, the chief regulatory officer or compliance Officer, the chief risk officer, the chief information security officer, the statutory auditor of the bullion exchange and bullion clearing corporation and any other person as determined by the public interest directors and non-independent directors to discuss important issues concerning the bullion exchange and bullion clearing corporation, on a periodic basis as specified by the Authority.
- (o) periodically review the frequency of meetings and agenda items of the governing board and statutory committees to ensure that the number of meetings is rationalised, and all important issues are discussed.
- (p) ensure that the agenda papers are approved by the Chairman of the governing board.
- (q) ensure that members of the governing board can place agenda items during their meeting.
- (r) be responsible for monitoring compliance with the code of conduct by the directors of the bullion exchange and bullion clearing corporation.
- (s) uphold a strong culture in the bullion exchange or bullion clearing corporation and promote target culture from the top through behaviour, actions and effective communication.
- (t) communicate the guiding principles for institution's target regulatory, compliance, risk and conduct culture.
- (u) endeavor that the bullion exchange and bullion clearing corporation put in place key elements related to culture such as:
 - (i) adequate training programs to help employees better understand expectations of behavior (for example, trainings on dilemmas);
 - (ii) mechanisms to measure and track indicators related to culture at regular intervals;
 - (iii) accountability mechanisms; and
 - (iv) performance management mechanisms which take into account adherence to culture, conduct and behavior related dimensions.

II. Code of conduct for directors, committee members and key management personnel

A. Applicable to directors, committee members and key management personnel of bullion exchange and bullion clearing corporation:

1. General Responsibility

Every director, committee member and key management personnel of the bullion exchange or bullion clearing corporation shall—

- (a) analyse and administer the bullion exchange's and bullion clearing corporation's issues with professional competence, fairness, impartiality, efficiency and effectiveness;

- (b) unless otherwise required by law, maintain confidentiality and not divulge or disclose any information obtained in the discharge of their duties and ensure no such information is used for personal gains;
- (c) maintain the highest standards of personal integrity, truthfulness, honesty and fortitude in discharge of their duties in order to inspire public confidence and not engage in acts discreditable to their responsibilities;
- (d) perform their duties in an independent and objective manner and avoid activities that may impair, or may appear to impair, their independence or objectivity or official duties.
- (e) perform their duties with a positive attitude and constructively support open communication, creativity, dedication, and compassion;
- (f) not engage in any act involving moral turpitude, dishonesty, fraud, deceit, or misrepresentation or any other act prejudicial to the administration of the bullion exchange and bullion clearing corporation;
- (g) promote greater awareness and understanding of ethical responsibilities.
- (h) in the conduct of their business, observe high standards of commercial honour and just and equitable principles of trade.
- (i) be exemplary in their conduct in business life which may set a standard for others;
- (j) not use their position to give or receive favours to or from the executive or administrative staff of the bullion exchange or bullion clearing corporation, technology or service providers and vendors or suppliers of the bullion exchange and bullion clearing corporation;
- (k) not commit any act which will put the reputation of the bullion exchange or bullion clearing corporation in jeopardy;
- (l) comply with the provisions of all applicable laws pertaining to the bullion market and securities market;
- (m) directors and key management personnel shall at all points of time comply with all the internal policies of the bullion exchange and bullion clearing corporation including their code of conduct. If there is a conflict between the code of conduct policy of the bullion exchange or bullion clearing corporation with those provided by the Authority, then the policy issued by the Authority shall prevail.

2. Regulatory Compliances

Every director, committee member and key management personnel of the bullion exchange or bullion clearing corporation shall—

- (a) ensure that the bullion exchange or bullion clearing corporation abides by all the applicable provisions of Act, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, or any rules, notifications, regulations, circulars, guidelines or directions issued under these Acts.
- (b) ensure compliance at all levels so that the regulatory system does not suffer any breach.
- (c) ensure that the bullion exchange or bullion clearing corporation takes steps commensurate to honour the time limit stipulated by Authority for corrective action.

3. Disclosures of Beneficial Interest

Every director, committee member and key management personnel shall disclose to the governing board of bullion exchange or bullion clearing corporation, upon assuming office and during their tenure in office, whenever the following arises: —

- (a) any fiduciary relationship of self and family members and directorship or partnership of self and family members in any trading member or clearing member

- (b) shareholding, in cases where the shareholding of the director or key management personnel, directly or through her family exceeds 5 per cent. in any listed company or in other entities related to the bullion markets or securities markets;
- (c) any other business interests.

4. Access to Information

- (a) There shall be specified channels through which information shall move and further there shall be audit trail of the same. Any retrieval of confidential documents or information shall be properly recorded.
- (b) All such information, especially which is non-public and price sensitive, shall be kept confidential and not be used for any personal consideration or gain.
- (c) Any information relating to the business or operations of the bullion exchange or bullion clearing corporation, which may come to the knowledge of directors or committee members or key management personnel during performance of their duties shall be held in strict confidence, shall not be divulged to any third party and shall not be used in any manner except for the performance of their duties.
- (d) Directors shall call for information only as part of specific committees or as may be authorised by the governing board of bullion exchange or bullion clearing corporation.

5. Misuse of Position

Directors or committee members or key management personnel shall not use their position to obtain business or any pecuniary benefit in the organization for themselves or family members.

B. Applicable to the Directors and Committee Members

1. Meetings and Minutes

The directors and committee members of the bullion exchange or bullion clearing corporation shall—

- (a) not participate in discussions on any subject matter in which any conflict of interest exists or arises, whether pecuniary or otherwise and in such cases the same shall be disclosed and recorded in the minutes of the meeting;
- (b) not encourage the circulation of agenda papers during the meeting, unless circumstances so require;
- (c) ensure that minutes are recorded to capture all points of opinion comprehensively;
- (d) offer their comments on the draft minutes and ensure that the same are incorporated in the final minutes;
- (e) insist on the minutes of the previous meeting being placed for approval in subsequent meeting;
- (f) endeavor to have the date of next meeting fixed at each governing board meeting and committee meetings respectively in consultation with other respective members of the governing board and committees;
- (g) ensure that all important agendas placed before the governing board of bullion exchange and bullion clearing corporation and committees are deliberated in a timely manner;
- (h) not support any decision in the meeting of the governing board of bullion exchange and bullion clearing corporation and the committees respectively which may adversely affect the interest of customers and shall report forthwith any such decision to the Authority.

2. Role of the directors and committee members in the day to day functioning of the bullion exchange and bullion clearing corporation

- (a) The directors and committee members shall not interfere in the day-to-day functioning of the bullion exchange or bullion clearing corporation and shall limit their role to decision making on policy issues and to issues as the governing board of bullion exchange and bullion clearing corporation may decide.
- (b) The directors and committee members shall abstain from influencing the employees of the bullion exchange and bullion clearing corporation in conducting their day-to-day activities.
- (c) The directors and committee members shall not be directly involved in the function of appointment and promotion of employees unless specifically so decided by the governing board of bullion exchange and bullion clearing corporation.

3. Avoidance of Conflict of Interest

- (a) No director or committee member of the bullion exchange or bullion clearing corporation shall participate in any decision making or adjudication in respect of any person or matter in which she is in any way, directly or indirectly, concerned or interested.
- (b) Conflict of interest in a matter, if any, shall be decided by the governing board of the bullion exchange and bullion clearing corporation.

4. Strategic Planning

Every director and committee member of the bullion exchange and bullion clearing corporation shall -

- (a) participate in the formulation and execution of strategies in the best interest of the bullion exchange and bullion clearing corporation and contribute towards proactive decision making at the governing board level;
- (b) give benefit of their experience and expertise to the bullion exchange and bullion clearing corporation and provide assistance in strategic planning and execution of decisions;
- (c) place priority for redressing customer grievances and encouraging fair trade practices so that the bullion exchange and bullion clearing corporation becomes an engine for the growth of the bullion market.

C. Applicable to Public Interest Directors

- (a) Public Interest Directors of the bullion exchange and bullion clearing corporation shall endeavor to attend all the governing board meetings and they shall be liable to vacate office if they remain absent for three consecutive meetings of the governing board or do not attend seventy-five per cent. of the total meetings of the governing board in a calendar year.
- (b) Public interest directors shall meet separately, at least once in six months to exchange views on critical issues concerning the bullion exchange or bullion clearing corporation. All Public Interest Directors shall mandatorily attend such meetings.
- (c) Public interest directors shall identify important issues which may involve conflict of interest for the bullion exchange and bullion clearing corporation or may have significant impact on the functioning of the bullion exchange and bullion clearing corporation or may not be in the interest of bullion market. The same shall be reported to the Authority in a time-bound manner.
- (d) Public interest directors shall have regular oversight on observations of Authority's inspection particularly on issues of governance standards, technology and cyber security and system audit and cyber security audit observations.

- (e) Public interest directors should be proactive in identifying any issues concerning the functioning of bullion exchange or bullion clearing corporation and report the same to the Authority. Public interest directors should ensure all regulatory communication/letter from the Authority are placed before the governing board with comments/report of managing director.
- (f) Public interest directors shall put in place an evaluation mechanism to assess the performance of the managing director on a continuing basis in line with evaluation guidelines for public interest directors.
- (g) Public interest directors to ensure that appointments of managing director be held within specified timelines. The identification of key management personnel be closely scrutinized as per the laid down procedure and exceptions should be brought to the notice of the Authority.
- (h) Public interest directors should take proactive part in the deliberations of different committees and steer their functioning.
- (i) Ensure adequacy of resource allocations (both financial & human) towards regulatory compliances to be ensured.
- (j) Public interest directors as members of various committees (including statutory committees) shall provide a report to other Public interest directors on the working of their committees.
- (k) Public interest directors shall submit a report on the outcome of such meetings to the Authority and to the governing board of the bullion exchange or bullion clearing corporation, as the case may be, within thirty days of such meeting.

D. Applicable to Independent External Professionals

- (a) Independent external professionals shall not use or act on any sensitive information received in capacity as a member of the statutory committee for obtaining any undue benefit.

Part-C

[See Regulation 2(1)(t)(iii) and 29(2)]

Core functions for bullion exchange and bullion clearing corporation

1. For bullion exchange, the core and critical functions shall include but not limited to:
 - a. Vertical 1: Critical operations
 - i. Provision and operation of trading facilities;
 - ii. Record keeping and disclosure of trade related information;
 - iii. IT infrastructure for core and critical functions;
 - iv. Business continuity plan and disaster recovery operations;
 - v. Cyber security and cyber resilience framework.
 - b. Vertical 2: Regulatory, legal, compliance, risk management and customer grievance
 - i. Risk management;
 - ii. Surveillance and investigation;
 - iii. Member registration;
 - iv. Compliance;
 - v. Inspection;
 - vi. Enforcement;
 - vii. Arbitration and grievance redressal mechanism;
 - viii. Member default;
 - ix. Legal;
 - x. Listing;
 - xi. Admission of issuer of financial product;

- xii. Customer protection and services.
 - c. Vertical 3: Other functions including business development
 - i. Sales;
 - ii. Marketing;
 - iii. Product development;
 - iv. Finance.
2. For bullion clearing corporation, the core and critical functions shall include but not limited to:
- a. Vertical 1: Critical operations
 - i. Provision for clearing and settlement;
 - ii. Record keeping of information related to clearing and settlement of trades;
 - iii. IT infrastructure for core and critical functions;
 - iv. Business continuity plan and disaster recovery operations;
 - v. Cyber security and cyber resilience framework.
 - b. Vertical 2: Regulatory, legal, compliance, risk management and customer grievance
 - i. Risk management;
 - ii. Member registration;
 - iii. Compliance;
 - iv. Inspection;
 - v. Enforcement;
 - vi. Member default;
 - vii. Legal;
 - viii. Customer protection and services.
 - c. Vertical 3: Other functions including business development
 - i. Sales;
 - ii. Marketing;
 - iii. Product development;
 - iv. Finance.

Part-D

[See Regulation 26 and 27]

A. Procedure for appointment

1. All directors while seeking approval shall submit to the bullion exchange and bullion clearing corporation the following details: -
- a) Name
 - b) Address
 - c) Educational qualification
 - d) Details of employment/ Occupation, past and present
 - e) Details of other directorships
 - f) DIN
 - g) Declaration regarding the fulfillment of requirements specified in these regulations.
 - h) Declaration confirming compliance in respect of non-association with trading members or clearing members.
 - i) Details of regulatory action taken against by any statutory authority.

- j) Details of activities that may, in the opinion of the director, lead to her disqualification.
 - k) Association with trading members/clearing members.
 - l) Disclosure of the names of her dependents associated with the bullion market or securities market or holding any Authority registration.
 - m) An undertaking that he shall abide by the code of conduct specified in **Part B of Schedule-I** to these Regulations.
 - n) In the case of public interest directors, consent letters for acting as a public interest director.
 - o) Criminal cases before any authority in India or abroad, if any.
2. The bullion exchange or bullion clearing corporation shall forward the above details to the Authority while recommending their names along with the minutes of the governing board meeting where their name(s) was approved, copy of the shareholders' resolution (wherever applicable) and a confirmation by the bullion exchange or bullion clearing corporation that they are fit and proper persons in terms of the fit and proper criteria, are not associated with any trading member or clearing member and are in compliance with the requirements specified in these regulations.

B. Managing Director / Executive Director:-

1. The Nomination and Remuneration Committee of the bullion exchange and bullion clearing corporation shall be responsible for selection of CEO /Managing Director / Executive Director, as the case may be. The managing director shall be selected through open advertisement in all editions of at least one national daily from amongst persons qualified in the fields of bullion market/ securities market/ finance/ management and possessing sufficient experience. The bullion exchange and bullion clearing corporation shall forward the new names to the Authority before two months from the last working day of the existing managing director.
2. In case a vacancy of managing director arises due to unforeseen reasons, the bullion exchange or bullion clearing corporation shall forward the new names to the Authority within 60 days from the date of submission of resignation or such vacation of office.

C. Public Interest Directors: -

1. The names of the public interest directors shall be forwarded to the Authority after the approval of the governing board of the bullion exchange or bullion clearing corporation. The shareholders' approval shall not be necessary. A minimum of two names shall be submitted to the Authority for each vacancy of public interest directors, two months before such a vacancy.
2. The bullion exchange and bullion clearing corporation shall ensure that public interest directors are selected from diverse fields of work. While deciding to propose a particular person as a public interest director, the bullion exchange and clearing corporation shall also take into account the following factors:
 - a) Qualifications as specified in sub-regulation (14) of regulation 25.
 - b) At least one person shall be inducted having experience and background in finance/ accounts who may preferably be inducted in the audit committee.
 - c) Persons currently holding positions of trust and responsibility in reputed organizations or person who have retired from such positions.
 - d) Persons who are likely to have interested positions in commercial contracts and financial affairs of bullion exchange, may preferably be excluded.
3. Public interest directors shall peruse the relevant laws, code of conduct, etc. and submit an undertaking to the bullion exchange or bullion clearing corporation that they are aware of their roles, responsibilities and obligations.
4. In case of reappointment of the public interest director, the bullion exchange or

bullion clearing corporation shall apply to the Authority four months before the expiry of the term. In addition to the other requirements specified herein, the application for reappointment of the public interest director shall be accompanied by their attendance details on meetings of various mandatory committees and on the governing board of the bullion exchange or bullion clearing corporation, performance review and the reasons for extension of term.

5. In case of reappointment of existing public interest directors, the bullion exchange or bullion clearing corporation need not send two names to the authority.
6. The existing public interest directors may continue holding the post for a maximum period of three months from the date of expiry of their term or till a new public interest director is appointed, whichever is earlier, only if the governing board does not meet the mandatory regulatory requirements on its composition.

D. Non-independent directors

1. The names of persons to be appointed as non-independent directors shall first be approved by the governing board of the bullion exchange/ bullion clearing corporation, followed by shareholders' approval before submitting the same to the Authority for approval.
2. The manner of election, appointment, tenure, resignation, vacation, etc. of non-independent directors shall be governed by the provisions applicable to shareholder directors under the Companies Act, 2013 save as otherwise specifically provided under these regulations or in accordance with the Act and circulars issued thereunder.

E. General conditions on appointment of directors

1. The bullion exchange and bullion clearing corporation shall complete the appointment process within 30 days from nomination/approval for directors by the Authority and submit a compliance report within one week from the date of appointment.
2. In case any other official of the bullion exchange and clearing corporation is appointed on the governing board in addition to the managing director, the same shall be subject to the approval of shareholders and the Authority, in that order.

F. The bullion exchange and bullion clearing corporation shall provide at least seven days of training to all the directors each year.

G. At the time of joining of a new director on the Governing Board, the Bullion Exchange or Bullion Clearing Corporation shall provide familiarization programme to such directors with regard to their roles & responsibilities and expectations from them. Further, the Bullion Exchange or Bullion Clearing Corporation shall also provide a list of applicable regulatory provisions including the code of conduct applicable to directors amongst other materials for ease of reference.

K. RAJARAMAN, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./970/2024-25]